दिव्यांगजनों और अधिगम-विशेष दिव्यांगजनों (एसएलडी) को शिक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षणिक पहलुओं पर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम हेतु दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

दिव्यांगजनों और अधिगम-विशेष दिव्यांगजनों (एसएलडी) को शिक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षणिक पहलुओं पर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम हेतु दिशानिर्देश

अगस्त 2023

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अगस्त, 2023

मुद्रण एवं प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय,
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

डिजाइन एवं मुद्रण : **दीया मीडिया आर्ट**
डी-41/ए, मेट्रो पिलर नं. 33, विकास मार्ग,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
दूरभाष: +91 9312450335, + 91 704273232
ई-मेल: infodma07@gmail.com

संदेश

मुझे आपको यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग "**दिव्यांगजनों और अधिगम-विशेष दिव्यांगजनों (एस एल डी) को शिक्षण प्रदान करने हेतु शैक्षणिक पहलुओं पर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम**" हेतु दिशानिर्देश ला रहा है। ये दिशानिर्देश उच्चतर शिक्षा में शिक्षण और अधिगम को समावेशी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें सभी शैक्षणिक निर्णयों के आधार के रूप में समानता और समावेशन पर जोर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सकें। ये दिशानिर्देश शिक्षा में उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ तालमेल रखते हुए दिव्यांग छात्रों तथा कोई भी दिव्यांगता के बावजूद, पाठ्यक्रम को फिर से रूपरेखा देने और छात्रों को क्रेडिट हस्तांतरित करने की सुविधा के साथ विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में गतिशीलता का एक सुलभ माध्यम/मोड प्रदान करने की अनिवार्यता को रेखांकित करते हैं। क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन यह अपेक्षा करता है कि किसी शैक्षणिक पाठ्यक्रम को, उसके घटकों के क्रेडिट सहित विभिन्न मानदंडों, जैसे कि पाठ्यक्रम भार/कोर्स लोड, अधिगम परिणाम, और शिक्षण एवं अधिगम के शैक्षणिक घंटों के आधार पर समग्र रूप में जोड़कर, रूपरेखा दी जाए। विषयों और पाठ्यक्रमों के चयन में लचीलेपन के साथ, शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समावेशी शिक्षा प्रदान करने की सुनिश्चितता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसके बहु माध्यम हों और जिसमें दिव्यांगजनों और अधिगम-विशेष दिव्यांगता (एसएलडी) वाले छात्रों की विभिन्न अधिगम शैलियों और अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की गई हो।

शिक्षा में समावेशी प्रथा किसी भी शिक्षार्थी के साथ भेदभाव किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करती है। ये दिशानिर्देश सामान्य रूप से अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं के साथ-साथ दिव्यांगजनों के अधिगम के शैक्षणिक पहलुओं पर और अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं के साथ-साथ दिव्यांगजनों को क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम का शिक्षण प्रदान करने, खासकर असंगत समावेशी वातावरण में, पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लक्ष्य उच्चतर शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ाना और शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया एवं वातावरण में सुधार करना है ताकि अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं सहित दिव्यांगजन उच्चतर शिक्षा में अपने कौशल, ज्ञान और समावेशी भागीदारी को बढ़ा सकें और वे बहुलवादी समाज के प्रगतिशील नागरिक बन सकें

यूजीसी अकादमिक उत्कृष्टता की उपलब्धि और दिव्यांगजनों के समग्र विकास के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समावेशी प्रथा में सुविधा प्रदान करने के लिए सदा प्रतिबद्ध रहा है।

(प्रो. एम. जगदीश कुमार)

नई दिल्ली,
अगस्त, 2023

आभार

"दिव्यांगजनों और अधिगम-विशेष दिव्यांगजनों (एसएलडी) को शिक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षणिक पहलुओं पर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम" के लिए दिशानिर्देश विशेषज्ञ समिति की सहायता से तैयार किए गए हैं, जिसमें डॉ. संजय कांत प्रसाद, राष्ट्रीय दिव्यांगता अध्ययन केंद्र, इग्नू, नई दिल्ली (पूर्व उप मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन, सामाजिक न्याय और महिला अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार), समिति के अध्यक्ष के रूप में; प्रो. सारा बेगम, विशेष शिक्षा विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली; डॉ. वी. पी. साह, पूर्व सहायक निदेशक एवाईजेएनआईएचएच, उत्तर क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा, उत्तर प्रदेश; और प्रोफेसर सी. एस. वनाजा, विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी, भारती विद्यापीठ, पुणे समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञ समिति तथा उसके सदस्यों के योगदान के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है उसकी सराहना करता है।

डॉ. जी.एस. चौहान, संयुक्त सचिव, यूजीसी, ने समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य किया; उनके अथक प्रयास प्रशंसनीय हैं। डॉ. अमोल अंधारे, उप सचिव और श्री चंद्र प्रकाश, अनुभाग अधिकारी तथा यूजीसी की तकनीकी टीम सहित अन्य अधिकारियों का योगदान भी सराहनीय है। मैं, इन दिशानिर्देशों पर इनपुट और टिप्पणियां प्रदान करने के लिए मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) का भी आभारी हूं। यूजीसी दिव्यांगता अध्ययन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकायों के सुझावों और प्रतिक्रिया को भी अभिज्ञानित करता है। इसके अलावा, मैं हितधारकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इन दिशानिर्देशों पर अपनी प्रतिक्रिया और बहुमूल्य सुझाव प्रदान किए जिससे हमें दिशानिर्देशों को और भी अधिक प्रासंगिक बनाने में सहातय प्राप्त हुई।

मैं, इस दस्तावेज़ को तैयार करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माननीय अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार के मार्गदर्शन, सलाह और निरंतर समर्थन के लिए आभारी हूं। अंत में, मैं यूजीसी परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन दिशानिर्देशों को दस्तावेज़ के रूप में तैयार करने में योगदान दिया है।

प्रो. मनिष आर. जोशी

नई दिल्ली,
अगस्त, 2023

विशेषज्ञ समिति

1.	डॉ. संजय कांत प्रसाद, निदेशक, राष्ट्रीय दिव्यांगता अध्ययन केंद्र (एनसीडीएस) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जाकिर हुसैन ब्लॉक (ग्राउंड फ्लोर) मैदान गढ़ी, नई दिल्ली -110068	अध्यक्ष
2.	डॉ. वी. पी. साह, मास्टर ऑफ़ ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी सेवानिवृत्त ए वाई जे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग डिसेबिलिटीज, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहायक निदेशक के रूप में, पुनर्वास संस्थान, ई-9, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-2, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3.	प्रो. सारा बेगम विशेष शिक्षा विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025	सदस्य
4.	डॉ. सी.एस. वनजा प्रधानाचार्य, भारती विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) स्कूल ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी बी वी (डीयू) धनकवाड़ी कैंपस कटराज-धनकवाड़ी पुणे- सतारा रोड, पुणे-411043	सदस्य
5.	डॉ. जी.एस.चौहान, संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली 110002.	समन्वय अधिकारी

दिव्यांगजनों और अधिगम-विशेष दिव्यांगजनों (एसएलडी) को शिक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षणिक पहलुओं पर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम हेतु दिशानिर्देश

अध्याय 1

परिचय **6-10**

1.1 दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति
1.2 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क
1.3 दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी)
1.4 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीतियां, 2006
1.5 दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016
1.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020
1.7 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ), 2022
1.8 उद्देश्य

अध्याय 2

दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षाशास्त्र **11-22**

2.1 अधिगम शैली
2.2 अधिगम सहायता
2.3 सहायक उपकरण सहायता
2.4 पाठ्यचर्या का डिजाइन और विकास
2.5 अभिगम्यता और लचीलापन आधारित सहायता
2.6 शिक्षण और अधिगम में सहायता
2.7 निर्धारण, परीक्षा और मूल्यांकन

अध्याय 3

दिव्यांगज-विशिष्ट शैक्षणिक सहायता **23-32**

3.1 दृष्टिबाधिता (दृष्टिहीनता और कम दृष्टि)
3.2 श्रवणबाधिता
3.3 बौद्धिक दिव्यांगता
3.4 एकाधिक दिव्यांगजताएँ
3.5 मानसिक रोग/विकृति
3.6 अधिगम-विशिष्ट दिव्यांगता

अध्याय 4

अभिगम्यता और शिक्षाशास्त्र **33-36**

4.1 एचईआई में दिव्यांगजनों की अभिगम्यता
4.2 परीक्षा और मूल्यांकन की अभिगम्यता

अध्याय 5

एचईआई में दिव्यांग छात्रों के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम शिक्षाशास्त्र (सीबीसीएस) और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी)

अध्याय 1

परिचय

1.1 दिव्यांगजनों की शैक्षिक स्थिति

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) 2011 ने सूचित किया कि 2.2% आबादी दिव्यांगजनों की है। इस डेटा में पूर्ववर्ती दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के अनुसार केवल 7 दिव्यांगताएं शामिल हैं, जिनमें से 2.3% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और 2% शहरी क्षेत्रों से हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में दिव्यांगता अधिक है, पुरुषों में यह 2.4% और महिलाओं में 1.9% है। 2.2% दिव्यांगजनों की आबादी में से, केवल 1.46 करोड़ लोग साक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का 49% और शहरी क्षेत्रों में आबादी का 20% पुरुष साक्षर हैं और केवल 8.5% दिव्यांगजन साक्षर हैं। इनममें 9% पुरुष और 7.7% महिलाएं शामिल हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, कुल छात्रों में से केवल 0.56% छात्रों का ही उच्चतर शिक्षा में नामांकन है। आंकड़ों से पता चलता है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के बेहतर समावेशन और भागीदारी के लिए और अधिक उपाय करने की आवश्यकता है और शिक्षा के सभी स्तरों पर, विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा स्तर पर महिला साक्षरता दर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए, उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में दिव्यांगजनों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक पहलुओं पर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रमों के लिए कुछ दिशानिर्देश बनाने की अत्यावश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) का नवीनतम नीति दस्तावेज उच्चतर शिक्षा में समानता और समावेशन पर जोर देता है। इसका उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत करके छात्रों के समग्र विकास का निर्माण करना भी है और शिक्षा में, विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा में, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना है। एनईपी 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) का प्रावधान किया गया है जो एक निर्धारित समय अवधि में छात्रों को स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) डिग्री पाठ्यक्रमों में कई बार प्रवेशों और बर्हिवेशन (मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट) की सुविधा प्रदान करता है। इन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट में सार्टिफिकेट कोर्स के लिए 40 का क्रेडिट, डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए 84, स्नातक डिग्री कार्यक्रम के लिए 120, और ऑनर्स या अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम के लिए 160 क्रेडिट शामिल हैं।

चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के बावजूद दिव्यांग छात्रों को निर्धारित विकल्पों में से पाठ्यक्रम चुनने का अवसर प्रदान करता है, जिनमें मुख्य पाठ्यक्रम, वैकल्पिक और ऐच्छिक या फाउंडेशन-आधारित पाठ्यक्रम शामिल हैं। सीबीसीएस का उद्देश्य पाठ्यक्रम को फिर से परिभाषित करना, शिक्षा में उदारीकरण और वैश्वीकरण के साथ तालमेल रखना है ताकि छात्रों को क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा के साथ विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में गतिशील रूप से प्रवेश लेने में सुविधा मिल सके। क्रेडिट प्रणाली का मूल्यांकन अपेक्षा करता है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम के घटकों के क्रेडिट को, समग्र शैक्षिक कार्यक्रम में जोड़कर, उसे रूपरेखा दी जाए। उच्चतर शिक्षा प्रणाली में, यह विभिन्न मापदंडों पर जैसे पाठ्यक्रम भार, अधिगम परिणामों और शिक्षण और अधिगम के लिए शिक्षण घंटों पर आधारित हो सकता है।

सीबीसीएस, प्रगतिशील मानव विकास के लिए पाठ्यक्रमों और विषयों, कौशल और क्षमताओं को चुनने में लचीलापन भी प्रदान करता है। विषयों और पाठ्यक्रमों के चयन में लचीलेपन के साथ, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) और दिव्यांग छात्रों सहित सभी छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर एक समावेशी शिक्षाशास्त्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसकी विशेषता यह है कि शिक्षण प्रदान करने के कई तरीकों का उपयोग करना, कई अधिगम शैलियों का समाधान करना और दिव्यांग छात्रों सहित विभिन्न

पृष्ठभूमि के छात्रों की अधिगम की जरूरतों को पूरा करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने और अधिगम के शैक्षणिक पहलुओं के लिए सुलभ अनुदेश बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। भारत में, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के मामले में समाज को समावेशी बनाने के लिए विभिन्न कानूनों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

1.2 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ)-2005 ने संज्ञानात्मक और गैर-संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों में दिव्यांग छात्रों सहित विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को समायोजित करने के लिए पाठ्यक्रम में लचीलेपन पर जोर दिया है। एनसीएफ-2005 अनुशंसा करता है कि सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समावेशन की नीति को संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली में लागू किया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005, विविध प्रकार की आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए एक समावेशी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया विकसित करने और सार्थक अनुभव प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित है।

1.3 दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी)

यूएनसीआरपीडी का उद्देश्य सभी दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण और समान अधिकारों को बढ़ावा देना, सुरक्षा प्रदान करना और सुनिश्चित करना तथा उनकी गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के साथ-साथ उनकी स्वयं की पसंद और स्वतंत्रता की स्वछंदता का सम्मान करना है। यह दिव्यांगजनों के लिए उचित आवास की मांग करता है और जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बुनियादी ढांचे के सभी क्षेत्रों में अभिगम्यता की मांग करता है। यह दिव्यांगजनों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। बिना किसी भेदभाव के और समान अवसर के आधार पर इस अधिकार को साकार करने के लिए, आजीवन अधिगम के साथ सभी स्तरों पर एक समावेशी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित होगी। यह मानव क्षमता के पूर्ण विकास, गरिमा और आत्म-सम्मान की भावना और मानव अधिकारों, मौलिक स्वतंत्रता और मानव विविधता के प्रति सम्मान को मजबूत करने पर जोर देता है। इसमें दिव्यांगजनों के व्यक्तित्व, प्रतिभा और रचनात्मकता के साथ-साथ उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के लिए दिव्यांगजनों के समग्र विकास को उनकी पूरी क्षमता के साथ निखारने पर जोर दिया गया है, जिससे दिव्यांगजनों को एक स्वतंत्र समाज में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके।

दिव्यांगजनों को सामान्य शिक्षा प्रणाली के भीतर आवश्यक सहायता दी जाएगी जिससे वे अपनी शिक्षा को सुविधाजनक बना सकें। व्यक्तिगत की आवश्यकताओं के अनुसार, उचित आवास प्रदान किया जाएगा। ऐसे वातावरण के लिए प्रभावी व्यक्तिगत सहायता उपाय प्रदान किए गए हैं जो पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप शैक्षणिक और सामाजिक विकास को अधिकतमीकरण करते हैं। इसके अनुसार, दिव्यांगजन शिक्षा के दौरान जीवन कौशल और सामाजिक विकास कौशल सीखते हैं जिससे शिक्षा में उनकी पूर्ण एवं समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अधिगम में ब्रेल, वैकल्पिक लिपि, संवर्धनात्मक और वैकल्पिक माध्यमों, संचार, अभिविन्यास और गतिशीलता कौशलों के माध्यम से शिक्षण में सुविधा प्रदान की जाएगी और समकक्ष सहायता एवं मेन्टरिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। सांकेतिक भाषा सीखना और बधिर समुदाय की भाषाई पहचान को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी जाएगी। यह उन छात्रों की शिक्षा सुनिश्चित करता है जो दृष्टिहीन, बधिर या बधिर-दृष्टिहीन हैं । ऐसे छात्रों को उपयुक्त भाषाओं, माध्यमों और संचार साधनों के आधार पर विशिष्ट वातावरण प्रदान किया जाएगा जो उनके शैक्षणिक और सामाजिक विकास को अधिकतम करता है। दिव्यांगजन सामान्य तृतीयक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा और दूसरों के साथ समान आधार पर भेदभाव के बिना आजीवन शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस प्रयोजन के लिए, दिव्यांगजनों हेतु उचित आवास सुनिश्चित किया जाएगा।

1.4 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ, 2006

इस नीति में स्वीकार किया गया है कि दिव्यांगजन देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन हैं, इसलिए यह नीति एक ऐसा वातावरण बनाने की अपेक्षा करती है जो उन्हें समान अवसर प्रदान करे, उनके अधिकारों की सुरक्षा करे और समाज में दिव्यांगों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करे। इस नीति में मुख्य रूप से दिव्यांगता की रोकथाम, दिव्यांग महिलाओं के मुद्दों के लिए पुनर्वास उपाय, बाधा मुक्त वातावरण, दिव्यांगज प्रमाण पत्र के मुद्दे, सामाजिक सुरक्षा, गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना, अनुसंधान और भारत में दिव्यांगजनों के लिए खेल और सांस्कृतिक जीवन जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया है।

नीति के अनुसार, दिव्यांग छात्र सबसे कमजोर समूह हैं, इसलिए उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ह। अत: सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह दिव्यांग छात्रों की देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करे और उनकी गरिमा, समानता के अधिकार को सुनिश्चित करे तथा एक संगत वातावरण बनाने का प्रयास करे जहां दिव्यांगजन अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें, समान अवसर प्राप्त कर सकें, विभिन्न कानूनों का पालन करते हुए पूर्ण भागीदारी का आनंद लें सकें। नीति में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पुनर्वास सेवाओं के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समावेश और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह विकास के अधिकार के साथ-साथ गंभीर दिव्यांग बच्चों की विशेष जरूरतों और देखभाल एवं सुरक्षा को भी सुनिश्चित करती है।

इसमें दिव्यांगजनों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से बाधा मुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने और संगत वातावरण के भीतर सुविधाओं का उपयोग करने के लिए निर्देश दिया है। बाधा-मुक्त डिज़ाइन का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जो व्यक्तियों के स्वतंत्र कामकाज का समर्थन करता है ताकि वे रोजमर्रा की गतिविधियों में सहायता के बिना भाग ले सकें। अत: यथासंभवत:, भवनों/स्थानों/परिवहन प्रणालियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए बाधा मुक्त बनाया जाएगा।

1.5 दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016

दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 में समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें दिव्यांग और गैर दिव्यांग छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए शिक्षण एवं अधिगम प्रणाली को विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्रों की शिक्षण जरूरतों के अनुरूप रूपरेखा दी गई है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में इक्कीस प्रकार की दिव्यांगताएं निर्दिष्ट हैं। इन सभी प्रकार की दिव्यांगताओं वाले छात्रों को उच्चतर शिक्षा तक पहुंच मिलनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा प्रणाली को सभी श्रेणियों में दिव्यांगजनों के लिए समानता और समावेशन सुनिश्चित करना चाहिए। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से कुछ दिव्यांगजताएँ दृश्यमान हैं और कुछ अदृश्य हैं। दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए लोको-मोटर दिव्यांगजनों के लिए कक्षा तक पहुंच सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हो सकती है, लेकिन उनके लिए शिक्षाशास्त्र में कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए शिक्षाशास्त्र में संशोधन की आवश्यकता होती है।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 16 में संस्तुति की गयी है कि सभी शिक्षा संस्थानों द्वारा दिव्यांग छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास प्रदान करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दृष्टिहीन या बधिर या दोनों को शिक्षा और संचार के माध्यम और साधन संबंधित भाषा में प्रदान किए जाएं, बच्चों में अधिगम-विशिष्टता की दिव्यांगता का जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करने चाहिए।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 32 में सभी सरकारी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए "निर्दिष्ट दिव्यांगता" हेतु कम से कम 5% सीटें आरक्षित करने का अनिवार्य उपबंध किया गया है। यह निर्देश दिव्यांगजनों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु में पांच वर्ष की छूट भी प्रदान करता है।

1.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वंचितों के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया है जिसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी) शामिल हैं जिन्हें व्यापक रूप से लैंगिक पहचान, सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पहचान, दिव्यांगता (अधिगम की दिव्यांगता सहित) और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शिक्षा एक अहम साधन है, जो आर्थिक एवं सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने के लिए समावेशन और समानता प्राप्त करने के सबसे अच्छे साधनों में से सबसे अच्छा है जिससे देश के लोग प्रगतिशील नागरिक बन सकें।

एनईपी, 2020 में गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों, भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया और दूरदर्शी दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है, जो कई उपायों के माध्यम से पहुंच, समानता और समावेशन में वृद्धि का सुझाव देता है। उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर, वंचित और शोषित छात्रों के लिए निजी/परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति, ऑनलाइन शिक्षा और ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) सिस्टम का व्यापक उपयोग, दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए सुलभ और उपलब्ध सभी बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री को सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी समुदायों और शैक्षणिक संस्थानों - स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को दिव्यांगजनों छात्रों सहित सभी छात्रों की जरूरतों और हितों को पूरा करने के लिए मजबूत और आधुनिक बनाया जाए।

1.7 राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ), 2022

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) के मसौदे का भारत में उच्च शिक्षा की संरचना पर बड़े निहितार्थ है। यह बहु-विषयक विश्वविद्यालयी शिक्षा की दिशा में एक कदम है जो भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य छात्र के समृद्ध अनुभवों के लिए पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और समर्थन में सुधार करना भी है। उपाधियां व डिग्रियां औपचारिक 'अवार्ड' हैं जैसे कि सार्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री। किसी विशेष अध्ययन कार्यक्रम के सफल समापन पर छात्रों को अपेक्षित अधिगम के परिणाम के रूप में डिग्रियां सक्षम प्राधिकारी यानी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती हैं। उन्हें ऐसे सक्षम निकाय द्वारा अधिगम के स्तर के निर्धारण और मूल्यांकन के बाद प्रदान किया जाता है जो निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित अधिगम के परिणामों के आधार पर छात्रों की उपलब्धि निर्धारित करता है।

1.8 उद्देश्य:

दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगजनों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक पहलुओं पर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम के दिशानिर्देश के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- उच्चतर शिक्षा में दिव्यांगजनों छात्रों की उपयुक्त शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रमों हेतु एक वस्तुनिष्ठ दिशानिर्देश प्रदान करना।
- दिव्यांग छात्रों को उनके समकक्ष समूह के बराबर लाने के लिए मुख्य, वैकल्पिक और कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के चयन में लचीलापन प्रदान करना।

- पाठ्यक्रम को अभिगम्य प्रक्रिया और प्रारूप में संचालित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना ताकि दिव्यांग छात्र अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण प्राप्त कर सकें।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दिव्यांग छात्रों की पहुंच व अभिगम्यता को बढ़ाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र की शुरुआत करना।
- उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले छात्रों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना।

अध्याय 2

दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षाशास्त्र

यह अध्याय शिक्षाशास्त्र पर चर्चा करता है जिसमें दिव्यांग और अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं वाले छात्रों के शिक्षण और अधिगम के लिए विभिन्न घटक शामिल हैं। प्रत्येक घटक दिव्यांग छात्रों के शिक्षण और अधिगम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये घटक एक-दूसरे के सहायक और पूरक हैं।

2.1 अधिगम शैली

कोई भी दो छात्र शिक्षा ग्रहण करने की अपनी शैली में बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। दिव्यांग छात्रों सहित प्रत्येक छात्र के शिक्षा ग्रहण करने का अपना पसंदीदा तरीका होता है जिसे पढ़ाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिगम यानी शिक्षा प्रदान करने के सिद्धांतों ने व्यक्तिगत रुचियों, वातावरण और क्षमताओं के आधार पर अलग-अलग अधिगम शैलियाँ विकसित की हैं। अधिगम शैली पर कुछ सिद्धांत संवेदी मार्गों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि अन्य सिद्धांत भौतिक वातावरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक संवाद भी अधिगम में योगदान देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से कोई सीखता व शिक्षा ग्रहण करता है, वह बुद्धिमत्ता का संकेतक नहीं है। समान बुद्धि स्तर के दो लोग शिक्षा ग्रहण करने की दो अलग-अलग शैलियों का उपयोग करके सीखना पसंद कर सकते हैं। हालाँकि, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि एक अधिगम शैली दूसरे से बेहतर है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ शिक्षण विधियाँ और तौर-तरीके कुछ अधिगम शैलियों को सुविधाजनक बनाते हैं। इसलिए, सामान्य रूप से शिक्षा के विभिन्न स्तरों और विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा में दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए, विभिन्न शिक्षण शैलियों को समझना और सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण को सहज बनाना आवश्यक है।

अधिगम शैलियों की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना और व्यक्तिगत मतभेदों को समझने के साथ-साथ संबंधित छात्र की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शिक्षक की पसंद के व्याख्यान, गतिविधियाँ, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का छात्र की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अधिगम शैलियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। शिक्षकों को एक समावेशी व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के अनुरूप शिक्षाशास्त्र से सामंजस्य स्थापित करना होगा।

कुछ महत्वपूर्ण अधिगम शैलियाँ नीचे दी गई हैं:

दृश्य अधिगम शैली: दृश्य अधिगम शैली वाले लोग अवलोकन करके और कुछ देखकर सीखते हैं। ये शिक्षार्थी चित्रों, रेखाचित्रों और वीडियो को देखकर या प्रदर्शनों को देखकर सीखना पसंद करते हैं। प्रिंट व मुद्रित सामग्री से शिक्षा ग्रहण करने वाले भी दृश्य अधिगम शैलियों की श्रेणियों में से एक हैं।

श्रवण अधिगम शैली: श्रवण अधिगम शैली वाले लोग सुनकर सीखते हैं। जब उन्हें कोई बात बोलकर समझाई जाती है तो वे बेहतर रूप से समझते हैं।

स्पर्श अधिगम शैली: जिन लोगों की अधिगम स्पर्श शैली होती है, वे वस्तुओं को छूकर सबसे अच्छा सीखते हैं। उन्हें व्यावहारिक गतिविधियों में भाग लेने से लाभ होता है। स्पर्श अधिगम वाले शिक्षार्थियों को याद रहता है कि उन्होंने क्या किया और कैसे किया; उन्हें यह आवश्यक रूप से याद नहीं रहता कि उन्होंने दूसरों को क्या करते देखा या क्या सुना।

काइनेस्टेटिक अधिगम शैली: काइनेस्टेटिक अधिगम शैली वाले लोग अधिगम की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेकर सीखते हैं। गति अर्थात मोशन, **काइनेस्टेटिक** अधिगम शैली का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

2.2 अधिगम सहायता

शिक्षाशास्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, अधिगम सहायता। इसमें दिव्यांग छात्रों को उचित आवास और अतिरिक्त सहायता के साथ अपनी शिक्षा पूरी करने के अवसर प्रदान करना शामिल है। उचित आवास और अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए, शिक्षकों सहित हितधारकों को दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए, निम्नलिखित चरणों के साथ अभिविन्यास कार्यक्रम शामिल किया गया है:

- विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की उपलब्धता।
- कार्य-आधारित अधिगम या शिक्षुता के लिए अवसर प्रदान करना।
- छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए 'अलग प्रावधान' करना और अधिक संगत वातावरण में शिक्षण प्रदान करना। इसमें मुख्यधारा प्रावधान की तुलना में अधिक संख्या में कर्मचारी और छात्र अनुपात शामिल हो सकता है।
- कैरियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट की व्यवस्था प्रदान करना।
- विभिन्न एजेंसियों- केंद्र और राज्य सरकार- आदि से अतिरिक्त वित्तीय सहायता, रियायतें और सुविधाएं, छात्रवृत्तियां प्रदान करना।
- उच्चतर शिक्षा संस्थान में जाना कठिन होने पर घर से शिक्षण प्राप्त करने के लिए ई-लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- आवासीय प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- दिव्यांगजन और अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं को पढ़ाने वाले संकाय सदस्यों को जागरूक करने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थानों और शैक्षणिक स्टाफ महाविद्यालयों के अनुकूलन कार्यक्रमों के दौरान विशिष्ट टाइम स्लॉट दिया जा सकता है।
- गैर-दिव्यांगजन और गैर-अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं वाले छात्रों को दिव्यांगजन और अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं के लिए आवश्यक व्यवहार पैटर्न पर एक वीडियो प्रस्तुति दी जा सकती है।

2.3 सहायक उपकरणों की सहायता

दिव्यांगताओं वाले छात्रों के शिक्षण व अधिगम के लिए शैक्षणिक पहलू का समर्थन करने हेतु सहायक उपकरण बुनियादी आवश्यकताओं में से एक हैं। ये सहायक उपकरण अधिकतर दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। इसलिए, इसे अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं के अधिगम सहित दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के शैक्षणिक पहलू का समर्थन करने के लिए विशेष सहायक उपकरणों हेतु दिव्यांगता की आवश्यकता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। दिव्यांगता की प्रत्येक श्रेणी में नीचे सूचीबद्ध ये विशिष्ट दिव्यांगता आवश्यकताएं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार विभिन्न प्रकार के दिव्यांग छात्रों के लिए विविध आवश्यकताओं की एक सामान्य समझ प्रदान करती हैं, और तदनुसार, सहायक उपकरणों की सहायता प्रदान की जा सकता है। विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए दिए जा सकने वाले विशेष समर्थन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

शारीरिक दिव्यांगता

- मोटर और/या फाइन-मोटर परिचालन, लोकोमोटर और गैर-लोकोमोटर परिचालन में सहायता।
- बैठने, चलने-फिरने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, और अंग-संचालन में सहायता।
- वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने, पन्ने पलटने, पेन या पेंसिल से लिखने, कीबोर्ड पर टाइप करने और/या अध्ययन सामग्री पुनः प्राप्त करने के लिए सहायता।
- चल रही गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

अम्लीय हमले से बच गए लोग

- वाक और संचार में सहायता।
- हाथों से काम करने में सहायता।
- दृश्य तीक्ष्णता (visual acuity) में सहायता, इसलिए दृष्टि दिव्यांगताओं के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं लागू होंगी।
- चल रही गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पॉल्सी)

- बैठने, चलने-फिरने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, और अंग-संचालन में सहायता।
- वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने, पन्ने पलटने, पेन या पेंसिल से लिखने, कीबोर्ड पर टाइप करने और/या अध्ययन सामग्री पुनः प्रोप्त करने के लिए समर्थन।
- चल रही गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी पसंद की बैठने की व्यवस्था।
- स्व-देखभाल और दैनिक जीवन कौशल में सहायता।
- दर्द से राहत और अंग-विन्यास नियंत्रण के लिए सहायता देने हेतु बैठने के लिए विशिष्ट फर्नीचर।
- वाक और संचार में सहायता।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति

- वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने, पन्ने पलटने, पेन या पेंसिल से लिखने, कीबोर्ड पर टाइप करने और/या अध्ययन सामग्री पुनः प्रोप्त करने के लिए सहायता।
- दृश्य तीक्ष्णता (visual acuity) में परिसीमाओं के लिए समर्थन।
- गतिशीलता, वाणी और संचार में परिसीमाओं को दूर करने के लिए समर्थन।
- चल रही गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतओं के अनुसार बैठने की व्यवस्था।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

छोटा कद/बौनापन

- बैठने, चलने-फिरने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, और अंग-संचालन में सहायता।
- दृष्टि, शारीरिक, श्रवण और वाणी दिव्यांगता से संबंधित सहायता।
- चल रही शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवशकतानुसार बैठने की व्यवस्था।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

मांसपेशीय दुर्विकास (Muscular Dystrophy)

- बैठने, चलने-फिरने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, और अंग-संचालन में सहायता।
- वक्तृता और संचार में परिसीमाओं को दूर करने में सहायता।
- हाथों से कार्य करने में कठिनाई को दूर करने के लिए सहायता।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।
- चल रही गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।

दृष्टिबाधित दिव्यांगताएं (दृष्टिहीनता और कम दृष्टि)

- विभिन्न तरीकों: ब्रेल, ऑडियो, विस्तृत प्रिंट, डिजिटल प्रारूप, स्क्रीन रीडिंग सॉफ़्टवेयर, या अन्य स्पर्श और संवेदी प्रणालियों के माध्यम से सूचना तक पहुंच।
- अभिविन्यास और चलने-फिरने में सहायता।
- चल रही गतिविधियों में भाग लेने के लिए आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।
- अवधारणा विकास में सहायता।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

श्रवणबाधिता (श्रवण और सुनने में कठिनाई)

- वक्तृता और संचार में सहायता।
- मौखिक सूचना/निर्देशों को समझने में सहायता, उदाहरणत: कक्षा की घंटी, घोषणाएंआदि सुनने में कठिनाई।
- शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।
- श्रवण यंत्र और कर्णावत प्रत्यारोपण (cochlear implants) जैसे उपकरणों का उपयोग।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

वक्तृता एवं भाषिक दिव्यांगता

- वक्तृता और संचार में सहायता।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।
- शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।

बौद्धिक दिव्यांगता

- वक्तृता, संचार और सामाजिक कौशल में सहायता।
- संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली में सहायता। (निर्णय लेना, तर्क क्षमता, समस्या-समाधान, आदि)
- बैठने और चलने-फिरने में सहायता।
- हाथों से कार्य करने में सहायता।
- सूचना को समझने में सहायता।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।
- चल रही गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।

अधिगम-विशिष्ट दिव्यांगता

- वक्तृता, संचार और सामाजिक कौशल में सहायता।
- समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में सहायता।
- मौखिक और लिखित सूचना को समझने में सहायता।

स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकृति (Autism Spectrum Disorder)

- वक्तृता, संचार और सामाजिक कौशल में सहायता।
- शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।
- संज्ञानात्मक कार्यकरण में सहायता (तार्किक क्षमता, समस्या-समाधान, आदि)
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

मानसिक रोग

- वक्तृता, संचार और सामाजिक कौशल में सहायता।
- एकाग्रता, स्मृति, ध्यान भटकना, आवेग, चिड़चिड़ापन, भय, चिंता आदि के कारण शैक्षणिक गतिविधियों में सहायता।
- सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास और स्मृति के विकृति के कारण संज्ञानात्मक कार्यकरण (तर्कक्षमता, समस्या-समाधान, आदि) में सहायता जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता, या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को गंभीर रूप से विकृत करती है।
- शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

असाध्य तंत्रिकीय (क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल) स्थिति - मल्टीपल स्केलेरोसिस

- मोटर और/या फाइन-मोटर परिचालन, लोकोमोटर और गैर-लोकोमोटर परिचालन में सहायता।
- बैठने और चलने-फिरने में सहायता।
- वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने, पन्ने पलटने, पेन या पेंसिल से लिखने, कीबोर्ड पर टाइप करने और/या अध्ययन सामग्री पुनः प्राप्त करने के लिए समर्थन।
- शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

असाध्य तंत्रिकीय स्थिति - पार्किंसंस रोग

- मोटर और/या फाइन-मोटर परिचालन, लोकोमोटर और गैर-लोकोमोटर परिचालन में सहायता।
- बैठने और चलने-फिरने के लिए सहायता।
- वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने, पन्ने पलटने, पेन या पेंसिल से लिखने, कीबोर्ड पर टाइप करने और/या अध्ययन सामग्री पुनः प्राप्त करने के लिए समर्थन।
- शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

रक्त विकार - सिकल सेल रोग

- मोटर और/या फाइन मोटर कार्यप्रणाली में सहायता।
- बैठने और चलने-फिरने में सहायता।
- दृश्य तीक्ष्णता (visual acuity) में परिसीमाओं में सहायता।
- वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने, पन्ने पलटने, पेन या पेंसिल से लिखने, कीबोर्ड पर टाइप करने और/या अध्ययन सामग्री पुनः प्राप्त करने के लिए समर्थन।
- चल रही गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

रक्त विकार - थैलेसीमिया

- मोटर और/या फाइन मोटर परिचालन में सहायता।
- चल रही गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

रक्त विकार - हीमोफीलिया

- मोटर और/या फाइन मोटर परिचालन में सहायता।
- शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।

बहुविध दिव्यांगताएं

- वक्तृता, संचार और सामाजिक कौशल में सहायता।
- संज्ञानात्मक कार्यकरण में सहायता (तर्कक्षमता, समस्या-समाधान, आदि)
- दर्द से राहत और अंग-विन्यास नियंत्रण (postural control) में सहायता के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था।
- बैठने और चलने-फिरने में सहायता।
- मोटर और/या फाइन-मोटर परिचालन, लोकोमोटर और गैर-लोकोमोटर परिचालन में सहायता।
- बैठने, चलने-फिरने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और अंग-संचालन (एम्बुलेशन) में सहायता।
- सूचना को समझने में सहायता।
- बुनियादी ढांचे या आईसीटी के उपयोग में सहायता।
- शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था।

2.4 पाठ्यचर्या डिजाइन और विकास

शैक्षणिक पहलू, पाठ्यक्रम डिजाइन और विकास से काफी हद तक संबंधित हैं। इसलिए, कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को डिजाइन और विकसित करते समय, नीचे दिए गए पाठ्यचर्या संबंधी पहलुओं के लिए सहायता प्रावधानों पर विचार करना चाहिए।

- विषयों का चयन (सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों) के साथ पाठ्यक्रम में लचीलापन।
- पाठ्यक्रम का कम भार, विषय चुनने की छूट या विषय बदलने के लिए योजना बनाना।

- प्लस-करिकुलम या विस्तारित-कोर करिकुलम विषयों को प्रदान करना।
- पाठ्यक्रम कार्यक्रम और शैक्षणिक कैलेंडर में लचीलापन।
- शिक्षार्थियों के लिए बहु गतिकियों अथवा मल्टीपल स्पीड्स प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री की गति में लचीलापन।
- उपस्थिति व हाजिरी से संबंधित आवश्यकताओं में लचीलापन।
- प्रत्येक दिव्यांगता के लिए प्रासंगिक समग्र शिक्षण लक्ष्यों और विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना।
- यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रम अधिगम के उद्देश्य संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन को कवर करते हैं।
- अधिगम की विभिन्न शैलियों के समाधान के लिए अनुदेश के कई माध्यम प्रदान करना।
- छात्रों को अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए कई विकल्पों का सुझाव देना (उदाहरण के लिए जो असाइनमेंट लेखन-आधारित, समस्या-आधारित, आदि हैं)
- विविध शिक्षण शैलियों और कार्यात्मक आवश्यकताओं (जैसे व्याख्यान, टीम-आधारित शिक्षा, समस्या-आधारित शिक्षा, सुकराती पद्धति (Socratic method), सिमुलेशन, रोल-प्ले, वाद-विवाद, सेवा अधिगम, आदि) के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न शैक्षणिक विकल्प प्रदान करना।
- स्पष्ट रूब्रिक्स (clear rubrics) और ग्रेडिंग मानदंड विकसित करना।
- बेहतर गुणवत्ता मूल्यांकन और मूल्यांकन विधियों में लचीलापन।
- छात्र की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अभिगम्य प्रारूपों में पाठ्यक्रम की उपलब्धता (डिजिटल कॉपी, हार्ड कॉपी, ब्रेल, बड़े प्रिंट, मौखिक विवरण वाली इमेजिज, उपयुक्त कलर स्कीम, आदि)
- संदर्भ सामग्री, पठन सामग्री और पाठ्यपुस्तकों की एक सूची शामिल करना जो सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध हैं (उदाहरण के लिए उपशीर्षक के साथ दृश्य मीडिया, स्क्रीन रीडर के साथ संगत डिजिटल सामग्री, आदि)
- यह स्पष्ट विवरण शामिल करना कि यह विविधता, समावेशन और समग्र जुड़ाव के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है।
- उन संसाधनों या आवासों के लिए एक चेकलिस्ट विकसित करना जिनकी आवश्यकता छात्रों को अपनी शिक्षा के इष्टतमीकरण के लिए हो सकती है (ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कक्षा दोनों)।

2.5 अभिगम्यता और लचीलापन

दिव्यांगता की प्रत्येक श्रेणी के लिए, अभिगम्यता समर्थन में निम्न उपाय शामिल हैं

- पाठ्यक्रम की छूट या प्रतिस्थापन या कम पाठ्यक्रम भार का विकल्प प्रदान करना।
- परिसर में सार्वभौमिक रूप से सुलभ वातावरण और प्रशासनिक से लेकर शैक्षणिक, परिचालन से लेकर आवासीय सुविधाओं तक विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना।
- उपस्थिति, समय सारिणी आदि में लचीलापन।
- सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुविधा देना।
- सुविधाजनक स्थान पर पार्किंग उपलब्ध कराना।
- कक्षाओं को सुलभ स्थान पर पुनर्निर्धारित करने का अवसर प्रदान करना।
- सुविधा-स्थलों ओं में सेवा पशुओं (service animals) की अनुमति देना।
- प्राथमिकता पंजीकरण सुविधा प्रदान करना।
- कक्षा अनुसूची और/या कमरे में बदलाव की अग्रिम सूचना प्रदान करना।
- छात्र को परिसर, कक्षा, प्रयोगशाला और सभी सुविधाओं के लेआउट से परिचित कराना, निकटतम निकास द्वारों पर ध्यान देना और आपातकालीन उपकरणों का पता लगाना आदि।

- उभरे हुई लाइनों के लिए परिसर के मानचित्रों और ग्राफिक सामग्रियों का स्पर्श मॉडल प्रदान करना।
- कक्षा के शेड्यूल और/या कमरे में बदलाव की अग्रिम सूचना देना।
- बड़े-प्रिंट, ब्रेल, प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित डिजिटल प्रारूप आदि जैसे सुलभ प्रारूपों में परिणाम और दस्तावेज़ जारी करना।
- सहायक प्रयोगशाला उपकरण प्रदान करना, उदाहरण के लिए टॉकिंग कैलकुलेटर, लाइट प्रोब्स, स्पर्श टाइमर, आदि।
- बड़े-प्रिंट, ब्रेल, प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित डिजिटल प्रारूप आदि जैसे सुलभ प्रारूपों में परिणाम और दस्तावेज़ जारी करना।
- वेब कन्टेंट ऐक्ससेबिलिटी दिशानिर्देश (डब्ल्यूसीएजी) के अनुपालन के साथ ऐक्ससेबल वेबसाइटों, सोशल मीडिया और ऑनलाइन सामग्रियों/उपकरणों को सुनिश्चित करना।
- विविधता-अनुकूल संचार मानक स्थापित करना।
- सुरक्षा, निजता और गोपनीयता उपाय।
- शिक्षण सहायकों को नियुक्त करना।
- पहुंच, नामांकन, प्रतिधारण, भागीदारी और उपलब्धि को प्रदर्शित करने के उपाय।
- सहयोगी क्लबों का गठन आदि।

दृष्टिबाधिता (दृष्टिहीनता और कम दृष्टि) के लिए विशिष्ट उपाय

- प्लस-पाठ्यक्रम (विस्तारित कोर-पाठ्यचर्या) गतिविधियों के माध्यम से अकादमिक सहायता प्रदान करना।
- ब्रेल का पाठन एवं ब्रेल लेखन।
- अभिविन्यास एवं गतिशीलता (mobility)।
- स्वतंत्र जीवन कौशल।
- संवेदी प्रशिक्षण - श्रवण/ स्पर्श/गंध/स्वाद और ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग करने की दक्षता कौशल।
- टेलर फ्रेम और अबेकस जैसे गणितीय उपकरणों का उपयोग।
- अवधारणा विकास, संगठन और अध्ययन कौशल, स्पर्श ग्राफिक्स, ऑडियो सामग्री इत्यादि जैसे मुख्य पाठ्यक्रम तक पहुंच के लिए क्षतिपूर्ति कौशल आवश्यक हैं।
- सामाजिक संपर्क कौशल।
- मनोरंजन और अवकाश कौशल।
- कैरियर शिक्षा।
- सहायक तकनीक।
- आत्मविश्वास कौशल, जैसे कि विकल्प चयन, निर्णयन, समस्या-समाधान, व्यक्तिगत एडवोकेसी, लक्ष्य-निर्धारण, संघर्ष समाधान, आदि।

श्रवण दिव्यांगताओं (श्रवणबाधिता और सुनने में कठिनाई) और वक्तृता एवं भाषिक दिव्यांगता के लिए विशिष्ट उपाय

- सांकेतिक भाषा दुभाषियों को उपलब्ध कराना।
- कक्षा की घंटी या मौखिक घोषणाओं जैसी ध्वनि-आधारित सूचना के लिए दृश्य विकल्प प्रदान करना।
- प्लस-पाठ्यचर्या (विस्तारित कोर-पाठ्यक्रम) गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक सहायता प्रदान करना:
    - ऑडियोलॉजिकल उपाय
    - कैरियर शिक्षा
    - संचार अभिविन्यास (मौखिक/श्रवण-मौखिक; मौखिक यूनी-सेंसरी; सांकेतिक भाषा; संपूर्ण संचार)
    - कार्यात्मक कौशल, जैसे अध्ययन और संगठन, अवधारणा विकास, सांस्कृतिक जागरूकता, आदि।

- आत्मविश्वास और एडवोकेसी
- सामाजिक-भावनात्मक कौशल
- दुभाषियों और अनुवादकों का उपयोग करना

बौद्धिक दिव्यांगता, अधिगम-विशिष्ट दिव्यांगता, स्वलीनता (आटिज्म) स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक रोग, बहुविध दिव्यांगता, और उच्च-समर्थनकारी आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट उपाय:

- स्कूल से महाविद्यालय या स्नातक-से-स्नातकोत्तर आदि में संक्रमणीय/परिवर्तित होने में सहायता प्रदान करना।
- प्रत्येक प्रशासनिक पहलू के लिए स्तर-वार या चरण-दर-चरण दिशानिर्देश प्रदान करना।
- एक से अधिक तरीकों से प्रस्तुत किए जाने वाले उच्च अनुदेशों या प्रदर्शनों को प्रदान करना।
- प्लस-पाठ्यक्रम (विस्तारित कोर-पाठ्यचर्या) गतिविधियों के माध्यम से अकादमिक सहायता प्रदान करना, जैसे कि
  - सामाजिक संपर्क कौशल
  - मनोरंजन और अवकाश कौशल
  - कैरियर शिक्षा
  - आत्मविश्वास कौशल, जैसे विकल्प चुनना, निर्णयन, समस्या-समाधान, व्यक्तिगत एडवोकेसी, लक्ष्य-निर्धारण, संघर्ष समाधान, आदि।

2.6 शिक्षण और अधिगम में सहायता

अधिगम और कौशल विकास से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में सहायता के प्रावधान में निम्न शामिल हैं:

- छात्र नामांकन और प्रोफ़ाइल
- छात्र विविधता की आवश्यकताओं का ध्यान रखना
- शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया
- शिक्षक प्रोफ़ाइल और गुणवत्ता
- मूल्यांकन प्रक्रिया और सुधार
- छात्र प्रदर्शन और अधिगम के परिणाम
- छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण
- थ्योरी पाठ्यक्रम से जुड़े रहना
- व्यावहारिक पाठ्यक्रम के साथ जुड़ना
- सुलभ शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता
- असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और पाठ्यक्रम कार्य
- अन्य विभागों के शिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना
- परिसरीय जीवन गतिविधियों में भाग लेना
- प्रतियोगिताओं और आयोजनों में भाग लेना
- भ्रमण और पर्यटन में भाग लेना
- छुट्टियों के दौरान विचार-विमर्श करना
- पुस्तकालय एवं पठन संसाधन
- डिजिटल पहुंच

शारीरिक दिव्यांगता के लिए सहायता के उदाहरण

- टिप्पण करने वाली और सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- पाठ की डिजिटल प्रतियां प्रदान करना (सुलभ संदर्भ की पूरी सूची के साथ दस्तावेज़)
- यह सुनिश्चित करना कि सभी ऑफ-डेस्क गतिविधियाँ भौतिक रूप से सुलभ हों या वैकल्पिक असाइनमेंट विकल्प प्रदान करना।

- अध्ययन/कार्य समूह गठित करते हुए छात्रों को शामिल करना।
- असाइनमेंट/प्रस्तुतियों के लिए अतिरिक्त समय देना।
- बैठने की व्यवस्था में संशोधन।
- व्याख्यानों को ऑडियो/वीडियो रिकार्ड करने की अनुमति।
- कक्षा के दौरान कुछ समय के लिए बाहर निकलने या घूमने की अनुमति।
- अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए कई विकल्प देना (उदाहरण के लिए असाइनमेंट जो लेखन आधारित, समस्या आधारित आदि हों)।

दृष्टिबाधितों (दृष्टिहीन और कम दृष्टि) के लिए सहायता के उदाहरण

- छात्र को प्रस्तुत की गई सामग्री को देखने, सुनने और यदि संभव हो तो छूने के लिए बैठने का उपयुक्त स्थान प्रदान करना।
- प्रयोगशाला सामग्रियों को लेबल करने में छात्र की सहायता करना ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके।
- कक्षा गतिविधि का मौखिक विवरण, जैसे कि जब हाथ मिलाने का अनुरोध किया जाता है, तो यह बताना कि कितने हाथ उठाए गए।
- नोट लिखने के लिए वॉयस रिकॉर्डर, कंप्यूटर, स्लेट, स्टाइलस (styluses) का उपयोग करना।

श्रवणबाधिता के लिए सहायता के उदाहरण (बधिर और कम सुनने वाले)

- बैठने के उचित स्थान की सुनिश्चितता से प्रशिक्षक, दुभाषिया और बोर्ड का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है।
- जब भी संभव हो दृश्य सहायता, जिसमें कैप्शन वाले वीडियो भी शामिल हों, दी जानी चाहिए।
- वर्ड प्रोसेसर तक पहुंच और निर्देशों के लिए दुभाषिया का उपयोग।
- लिखित निर्देशों, असाइनमेंट और निर्देशों के साथ पूरक।
- अपरिचित शब्दावली को लिखित रूप में, बोर्ड पर या हैंडआउट में उपलब्ध कराना।

वक्तृता और भाषा दिव्यांगता के लिए सहायता के उदाहरण

- दिव्यांगजनों के भाषण में अंतराल को भरने में अवांछित सहायता के बिना बोलने का समय देना।
- असाइनमेंट में संशोधन, जैसे कि वन-टू-वन प्रेजेंटेशन या वॉयस सिंथेसाइज़र के साथ कंप्यूटर का उपयोग।
- मौखिक कक्षा रिपोर्ट के लिए वैकल्पिक असाइनमेंट।
- सहायक उपकरणों और वैकल्पिक संचार विधियों का उपयोग।

बौद्धिक दिव्यांगता, अधिगम-विशिष्ट दिव्यांगता और स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार के लिए सहायता के उदाहरण

- संपूर्ण अवधारणा के बजाय, छात्रों को किसी विषय/प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना।
- श्रवण प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए वर्तनी-जांच और/या ध्वनि आउटपुट के साथ वर्ड प्रोसेसर उपलब्ध कराना।
- समय-सारणी के दौरान संक्रमण सहायता (ट्रांजिशन सपोर्ट)।
- असाइनमेंट में चयन की सुविधा देना।
- कक्षाओं के दौरान मध्यांतर (ब्रेक) प्रदान करना (यदि आवश्यक हो) ।

मानसिक रोग के लिए सहायता के उदाहरण

- अपनी आवश्यकतानुसार बैठने की व्यवस्था (दरवाजे के पास या कक्षा के पीछे आदि) ।
- समय प्रबंधन और अध्ययन कौशल में सहायता।
- पूर्व-व्यवस्थित या बारंबार मध्यांतर।
- व्यक्तिगत और निजी प्रतिक्रिया।

असाध्य तंत्रिकीय स्थितियों और रक्त विकारों के लिए सहायता के उदाहरण

- कक्षा के दौरान पानी पीने, शौचालय और चिकित्सा कक्ष में जाने/दवा लेने के लिए बीच-बीच में मध्यांतर देना।
- पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों से कभी-कभी आराम की अनुमति देना।
- रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान/पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान करना।
- स्वच्छता और साफ-सफाई का गहन ध्यान रखना।

बहुविध दिव्यांगताओं और उच्च समर्थनकारी आवश्यकताओं के लिए सहायता के उदाहरण

- प्रत्येक कार्य/गतिविधि के लिए स्तर-वार या चरण-दर-चरण दिशानिर्देश।
- कक्षा और व्यक्तिगत देखभाल गतिविधियों को निष्पादित करने में सहायता।
- कक्षा की गतिशीलता (mobility) और संचार में सहायता।
- एकाग्रता, ध्यान भटकना, समय प्रबंधन, संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक कौशल आदि में चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता।

लैंगिक आवश्यकताओं और दिव्यांग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सहायता के उदाहरण

- लिंग-अनुकूल कक्षा वातावरण और शिक्षण।
- छात्रों में सकारात्मक स्व-अवधारणा और आत्म-सम्मान विकसित करना।

2.7 निर्धारण, परीक्षा और मूल्यांकन

सतत निर्धारण और परीक्षा के बारे में सभी शैक्षणिक प्रक्रियाओं में विशिष्ट आवश्यकता समर्थन का प्रावधान नीचे दिया गया है:

- परीक्षाओं की तैयारी
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त कोचिंग एवं प्रशिक्षण का लाभ उठाना
- परीक्षा और मूल्यांकन के लिए निरंतर समर्थन
- परीक्षाओं में भाग लेना
- ईपीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय देना
- मूल्यांकन और परिणामों तक पहुंच और पुनर्मूल्यांकन, पुनः अंकनिर्धारण आदि की संबंधित प्रक्रियाएं।

शारीरिक दिव्यांगता के लिए सहायता के उदाहरण

- वैकल्पिक परीक्षण प्रारूपों का उपयोग, जैसे रीडर्स, लिखित परीक्षा आदि।

- किसी परीक्षा के उत्तर रिकॉर्ड करने के लिए स्क्राइब या स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ़्टवेयर का उपयोग
- वैकल्पिक परीक्षण स्थान
- परीक्षा आदि के दौरान कंप्यूटर/सहायता/उपकरणों का उपयोग।

दृष्टिबाधितों (दृष्टिहीन और कम दृष्टि) के लिए सहायता के उदाहरण

- ब्रेल/बड़े प्रिंट वाले प्रश्न पत्र या वैकल्पिक परीक्षण प्रारूप, जैसे कि ऑडियो का प्रावधान, रीडर्स का उपयोग, आदि।
- कंप्यूटर या सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग।

श्रवणबाधिता (सुनने में कठिनाई) और वक्तृता एवं भाषिक दिव्यांगता के लिए सहायता के उदाहरण

- मौखिक परीक्षा आदि के स्थान पर लिखित या कोई अन्य वैकल्पिक कार्यपद्धति अपनाना।
- परीक्षा घोषणाओं के लिए एक वैकल्पिक गैर-मौखिक कार्यपद्धति प्रदान करना।
- श्रवण यंत्रों, कर्णावर्त तंत्रिका (cochlear implants) और संचार उपकरणों के उपयोग की अनुमति देना।

बौद्धिक दिव्यांगता, अधिगम-विशिष्ट दिव्यांगता और स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, बहुविधि दिव्यांगता और उच्च समर्थनकारी आवश्यकताओं के लिए सहायता के उदाहरण

- परीक्षा और मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक तौर-तरीके; या वैकल्पिक/अनुकूलित प्रश्न पत्र
- शांत, शोर-शराबा मुक्त परीक्षा क्षेत्र
- परीक्षा के दौरान ब्रेक
- परीक्षा के लिए स्तर-वार या चरण-दर-चरण दिशानिर्देश
- स्क्राइब्स का उपयोग

मानसिक रोग हेतु सहायता उदाहरण

- मांग-आधारित परीक्षाएं
- परीक्षाओं के लिए बढ़ाया गया समय या परीक्षा के दौरान मध्यांतर
- शांत, शोर-शराबा मुक्त परीक्षा क्षेत्र

असाध्य तंत्रिकीय स्थितियों और रक्त विकारों के लिए समर्थन के उदाहरण

- परीक्षाओं के लिए विस्तारित समय
- स्क्राइब्स का प्रयोग
- परीक्षा संशोधन, उदाहरण के लिए अल्पावधि परीक्षा अवधि, मांग आधारित परीक्षा, आदि।
- परीक्षा के दौरान शौचालय, दवा लेने, टहलने आदि के लिए ब्रेक देना।

अध्याय 3
दिव्यांगता-विशिष्ट शैक्षणिक सहायता

उच्चतर शिक्षा में शैक्षणिक पहलुओं में सहायता दिव्यांगों की श्रेणियों के आधार पर कुछ हद तक भिन्न होती है। एचईआई द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी पढ़ाई में सहायता करने के लिए उपयुक्त कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षण-अधिगम पहलुओं के सभी मुद्दों को समय पर हल किया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर प्रारूपों और विधियों में उपयुक्त कक्षाएं प्रदान की जाएंगी। हालाँकि, संकाय सदस्य भी उपयुक्त कक्षाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आ सकते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अधिगम की दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों की संख्या का रिकॉर्ड रखना होगा जिन्होंने वर्तमान दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद उपयुक्त कक्षाओं का विकल्प चुना है। (संदर्भ: उपयुक्त कक्षाओं के वित्तपोषण के लिए यूजीसी योजना का संदर्भ लिया जा सकता है)।
शिक्षक नीचे दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगता-विशिष्ट शैक्षणिक पहलुओं पर विचार कर सकते हैं।

3.1 दृष्टिबाधितता (दृष्टिहीनता और कम दृष्टि)

पाठ्यचर्या से अनुकूलनता: पाठ्यचर्या से अनुकूलनता एक सतत प्रक्रिया है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, पाठ्यक्रम को समय-समय पर संशोधित करने के लिए लचीलापन पर विचार किया जाना चाहिए, और छात्र के हितों और आवश्यकताओं के अनुसार उसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्य सामग्री, भाषा और शिक्षण पद्धति को दोहराव, संशोधन, प्रतिस्थापन या लोप (ओमिशन) के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है। पाठ्य सामग्री लचीली और सुगम्य होनी चाहिए और दृष्टिबाधित लोगों के लिए पाठ्यपुस्तकें रिकॉर्ड की जानी चाहिए। इसके अलावा, शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे दृष्टिबाधित छात्रों को नवीन तरीकों, तकनीकों और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करके विभिन्न विषयों; जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषाएं पढ़ाएं।

- **शिक्षण विज्ञान:** इसमें विज्ञान का शिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षण विज्ञान के नवीन कौशलों का प्रयोग करके, प्रयोगशाला कार्य को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए दक्षताएँ विकसित करके, और रचनात्मक दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष अनुभव, विवेचनात्मक और निगमनात्मक दृष्टिकोण (इनडक्टिव एण्ड डिडक्टिव एप्रोच), प्रत्यक्ष अनुभव का दृष्टिकोण, अवधारणा का मानचित्रण, कंप्यूटर-समर्थित शिक्षण, प्रोग्राम आधारित अनुदेश, सहयोगात्मक शिक्षण और विभेदीकृत दृष्टिकोण जैसे कई वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का अनुसरण करके विज्ञान में शिक्षार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए जन-केंद्रित रणनीतियों को डिजाइन करने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास शामिल है।

- **गणित पढ़ाना:** इसमें नवीन कौशल का प्रयोग करके गणित पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, गणित अधिगम के लिए विभिन्न मूल्यांकन विधियों का विकास और डिजाइनिंग, संकल्पना प्राप्ति मॉडल, संकल्पना निर्माण, विश्लेषणात्मक और सिंथेटिक समस्या-समाधान मॉडल, ड्रिल-कार्य, प्रतिभा-उन्नयन और कंप्यूटर सहायक अनुदेश, स्थितिजन्य प्रासंगिक अधिगम और गतिविधि-आधारित अधिगम सहित गणित की पढ़ाई करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को समझना और अनुसरण करना शामिल है।

- **सामाजिक विज्ञान पढ़ाना:** इसमें अभिक्षमताएं विकसित करने और समाज में कई दृष्टिकोणों के माध्यम से घटनाओं एवं परिघटनाओं को समझने तथा सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की अनेक विधियों, जैसे प्रोग्राम आधारित शिक्षण, अवधारणा मानचित्रण, अनुकूलित स्पर्शीय मानचित्र, आरेख और मानचित्र, फील्ड दौरे, नाटक-अभिनय, आख्यान प्रस्तुतीकरण, प्रस्तुतीकरण, कहानी सुनाना, अभिनय व रोल प्ले, स्पर्शीय मानचित्र को पढ़ना, कम दृष्टि वालों के लिए पढ़ने और लिखने के कौशल विकसित करना शामिल है।

- **भाषिक शिक्षण:** इसमें कार्य-आधारित दृष्टिकोण, उदार दृष्टिकोण, और रचनात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग करके सभी भाषाओं के लिए आवश्यक पढ़ने और लिखने की दक्षता विकसित करना शामिल है। इसके साथ, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, भाषा दक्षता विकसित करना, अंतर्वैक्तिक संचार कौशल, संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा दक्षता आदि तथा अनुवाद विधि, वाक्य-विन्यास विधि, स्थितिजन्य विधि और प्रत्यक्ष विधि सहित महत्वपूर्ण विभिन्न विधियों से गद्य, कविता, नाटक, व्याकरण और शब्दज्ञान बढ़ाने की शिक्षा ग्रहण की जा सकती है।

विस्तारित कोर पाठ्यक्रम:

सहायिकी तकनीक: सहायिकी प्रौद्योगिकी में सहायिकी और अनुकूलनशील उपकरण के साथ-साथ अनुदेशात्मक सेवाएँ भी शामिल हैं। यह संचार, पहुंच/अभिगम्यता और अधिगम को बढ़ाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे कि स्विच, मोबाइल डिवाइस और पोर्टेबल नोट-टेकर्स; कंप्यूटर एक्सेस, जैसे कि मैग्नीफिकेशन सॉफ़्टवेयर, स्क्रीन रीडर और कीबोर्डिंग; और अबेकस तथा ब्रेलर जैसे कम तकनीक वाले उपकरण शामिल किए जा सकते हैं।

उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा अथवा करियर शिक्षा: यह सभी उम्र के दृष्टिबाधित छात्रों को व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से अधिगम का अवसर प्रदान करती है। वे कार्य-संबंधी कौशल भी सीखते हैं, जैसे कि जिम्मेदारी निभाना, समय की पाबंदी और कार्यशील रहना। कैरियर शिक्षा दृष्टिबाधित छात्रों को अपनी शक्तियों और रुचियों का पता लगाने और वयस्क जीवन में संक्रमण की योजना बनाने के अवसर प्रदान करती है।

प्रतिपूरक कौशल: प्रतिपूरक कौशल में अवधारणा विकास सहित मुख्य पाठ्यक्रम; संचार माध्यम; संगठन और अध्ययन कौशल; मुद्रित सामग्री तक पहुंच; और ब्रेल/नेमेथ, स्पर्शीय ग्राफिक्स, वस्तु और/या स्पर्शीय प्रतीकों और ऑडियो सामग्री का उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल शामिल हैं।

अभिविन्यास और गतिशीलता (ओ एंड एम): ओ एंड एम अनुदेश सभी उम्र के छात्रों और मोटर क्षमताओं वाले छात्रों को अपने परिवेश के प्रति उन्मुख होने और यथासंभव स्वतंत्र एवं सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। छात्र अपने और अपने घर, स्कूल और समुदाय सहित परिवेश के बारे में सीखते हैं। ओ एंड एम कौशलों के साथ समुदाय के बीच यात्रा, और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।

मनोरंजन और विलासिता: मनोरंजन और विलासिता कौशल छात्रों को संगठित और व्यक्तिगत दोनों तरह के शारीरिक और विलासिता-समय संबंधी गतिविधियों की खोज करने, उन्हें अनुभव करने और चुनने का अवसर प्रदान करते हैं। एचईआई में जीवनपर्यन्त कौशलों (life-long skills) के विकास पर कुछ अनुदेश और प्रावधान उपलब्ध होने चाहिए जिनमें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में कला, शिल्प, जिम, खेल, योग और अन्य ज्ञानवर्धक गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं।

कक्षा में शिक्षण /शिक्षक की भूमिका:

क) समकक्ष-से-समकक्ष सहयोगात्मक अधिगम।
ख) व्यावहारिक गतिविधि आधारित अधिगम।
ग) बहुस्तरीय शिक्षण।
घ) अनुभवात्मक अधिगम।

ड.) बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
च) कक्षा में उपयोग की जाने वाली विभिन्न शिक्षण रणनीतियाँ।
छ) पूछताछ-आधारित अधिगम।
ज) समस्या-समाधान।

3.2 श्रवणबाधिता (बधिर और सुनने में कठिनाई)

श्रवण बाधित छात्रों के लिए कक्षा में संचार एक बड़ी चुनौती है। श्रवण दोष को मोटे तौर पर बधिर और सुनने में कठिनाई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बधिर व्यक्ति कुछ भी नहीं सुन सकता, जबकि एक व्यक्ति जिसे कम सुनाई देता है उसकी सुनने की क्षमता कुछ हद तक बनी रहती है। किसी व्यक्ति में श्रवण हानि की गंभीरता हल्के से लेकर गंभीर तक भिन्न हो सकती है। श्रवण हानि जन्मजात भी हो सकती है, जन्म से मौजूद हो सकती है, या जीवन में बाद में हो सकती है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ इस समस्या का समाधान संभव है। श्रवण हानि से पीड़ित सभी व्यक्तियों के लिए पुनर्वास विकल्प उपलब्ध हैं, भले ही श्रवण हानि की गंभीरता, प्रकार और व्यक्ति की उम्र कुछ भी हो। श्रवण संबंधी दिव्यांगता वाले अधिकांश व्यक्तियों का पुनर्वास श्रवण उपकरणों की सहायता से किया जाता है। सबसे अधिक अनुशंसित श्रवण उपकरणों में श्रवण यंत्र या कर्णावर्त प्रत्यारोपण (cochlear implants) हैं। श्रवण यंत्र से होने वाला लाभ कई कारकों, जैसे कि श्रवण हानि का प्रकार और गंभीरता, श्रवण हानि उत्पन्न होने की आयु, श्रवण उपकरणों का उपयोग शुरु करने पर आयु, छात्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले श्रवण उपकरणों के प्रकार, और श्रवण उपकरणों के साथ चिकित्सा से प्रभावित होंगे।

श्रवण दिव्यांग छात्रों को पढ़ाते हुए आवश्यक उपकरणों से अनुकूलनता छात्रों की सुनने की क्षमता और उनकी वाक-भाषा क्षमताओं पर निर्भर करेगी। जिन छात्रों को जन्म से या बचपन से ही सुनने की समस्या है, उनके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संचार माध्यम उनके पुनर्वास कार्यक्रम पर निर्भर करेगा। कोई शिक्षार्थी सांकेतिक या मौखिक भाषा का उपयोगकर्ता हो सकता है। मौखिक भाषा वाला छात्र संचार के लिए मौखिक भाषा का उपयोग करेगा लेकिन श्रवण उपकरणों के लाभ के आधार पर, वह दृश्य शिक्षार्थी, या श्रवण शिक्षार्थी या अधिगम के लिए ऑडिशन और विजन दोनों पर निर्भर हो सकता है। इसलिए, शिक्षाशास्त्र में आवश्यक अनुकूलन तदनुसार अलग-अलग होगा।अधिगम का एक सार्वभौमिक डिज़ाइन जो बाधाओं को कम करता है और अधिगम को अधिकतम करता है, का उपयोग किया जाना चाहिए। बाधाओं को कम करने और अधिगम को अधिकतम करने के लिए छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाना चाहिए।

श्रवण बाधित छात्रों को पढ़ाते समय शिक्षाशास्त्र में की जाने वाली कुछ संस्तुतियां निम्नलिखित हैं:

- पुनरावृत्ति: पुनरावृत्ति से श्रवण बाधित छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि पहली प्रस्तुति के दौरान वे क्या भूल गए थे।
- एक ही बात को भिन्न तरीकों से कहना: श्रवण बाधित छात्र कुछ ध्वनियाँ/शब्द नहीं सुन सकते। इसलिए, वाक्यांश को अलग शब्द एवं भिन्न तरीकों का उपयोग करके बताने से छात्रों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि पहली प्रस्तुति के दौरान वे क्या भूल गए थे।
- स्पष्ट उच्चारण/स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति: स्पष्ट उच्चारण/स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति के साथ धीरे-धीरे बोलने से श्रवण बाधित छात्रों को समझने में आसानी होगी।
- बैकग्राउंड की ओर मुंह करके बोलने से बचना: श्रवण बाधित कई छात्र जो बोला गया है उसे समझने के लिए वाक गति को पढ़ने और दृश्य संकेतों पर निर्भर रहते हैं।
- दृश्य संकेत देना: व्याख्यान देते समय जब छात्रों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी पड़े तभी उन्हें पढ़ाएं। उन्हें अपनी बात व संदेश संप्रेषित करने के लिए अपने चेहरे की मुद्राओं, हावभावों और शारीरिक भाषा का

उपयोग करें। जहां भी संभव हो, शिक्षण को जीवंतता प्रदान करें।

- शिक्षण की पूरकता के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध कराना: लिखित संसाधन सामग्री प्रदान करने से उन्हें उन अवधारणाओं को समझने में मदद मिलेगी जिन्हें वे अपनी सुनने की समस्या के कारण नहीं समझ सके थे।
- रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान प्रदान करें या छात्रों को व्याख्यान रिकॉर्ड करने की अनुमति दें: छात्रों को ऑडियो/वीडियो रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान उपलब्ध कराए जा सकते हैं ताकि वे उन अवधारणाओं को समझने के लिए उन्हें दोबारा सुन सकें जिन्हें वे स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए थे। वैकल्पिक रूप से, छात्रों को कक्षा में उपस्थित होने के दौरान व्याख्यान रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जा सकती है।
- दृश्य सहायक उपकरणों का उपयोग: जबकि दृश्य सहायक उपकरण सभी छात्रों को अधिगम और याद रखने में मदद करता है, इसलिए वह श्रवण बाधित छात्रों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। इसलिए जहां भी संभव हो दृश्य सहायक उपकरण का उपयोग करें।
- पदबंधों (फ्रेज) को लिखें: मुख्य पदबंधों, नए पदबंधों और कठिन पदबंधों को बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए ताकि छात्र बेहतर ढंग से समझ सकें।
- शिक्षण के मल्टीमॉडल का उपयोग: छात्रों को पढ़ाते समय पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन/स्लाइड शो/या वीडियो का उपयोग करें।
- वीडियो के लिए क्लोज कैप्शनिंग का उपयोग: सूनी गई सूचना की पूरकता हेतु क्लोज कैप्शनिंग वाले वीडियो का उपयोग करें।
- इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड का उपयोग: जहां भी संभव हो इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड का उपयोग करें क्योंकि इससे छात्रों को अवधारणाओं को समझने के लिए व्याख्यान को दोबारा प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी।
- कोई नया विषय पढ़ाने से पहले शब्दावली का परिचय दें: श्रवण बाधित छात्रों के पास सीमित शब्दावली हो सकती है। इसलिए, प्रत्येक विषय की शुरुआत से पहले नई शब्दावली से परिचय कराया जाना चाहिए।
- नया विषय शुरु करने से पहले एक पाठ्य सूची प्रदान करना: व्याख्यान के विषय की घोषणा पहले ही की जानी चाहिए और एक पाठ्य सूची प्रदान की जानी चाहिए ताकि छात्र व्याख्यान के लिए पहले से ही तैयार रहें।
- प्रत्येक सिद्धांत को पढ़ाने के लिए कई तरीकों का उपयोग करें
- यह सुनिश्चित करें कि किसी भी विषय पर चर्चा पर नियंत्रण रखने के लिए एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति बोले।
- सांकेतिक भाषा समझने वाले दुभाषिए रखे जाने चाहिए।
- एक काउंसलिंग कक्ष होना चाहिए
- एक संसाधन कक्ष हो
- उपयुक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाए
- श्रवण बाधित छात्रों की जरूरतों के विषय में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उन्मुख करना
- भाषिक छूट पर विचार किया जा सकता है

श्रवण बाधित छात्रों की सहायता के लिए अन्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बैठने की पसंदीदा व्यवस्था - शिक्षक/वक्ता की ओर मुंह करके, और बैकग्राउंड से आने वाले शोर से दूर।
- पढ़ाते समय माइक्रोफोन का प्रयोग करना
- कक्षा में प्रवर्धन प्रणालियों का उपयोग करना
- एफएम यंत्र का उपयोग करना
- बैकग्राउंड से आने वाले शोर को कम करना
- समकक्ष साझेदारों, बडी सिस्टम असाइन करना।

3.3 बौद्धिक दिव्यांगता

बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षण-अधिगम की योजना बनाते समय, शिक्षक को उनकी सामान्य विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए जिनका नीचे वर्णन किया गया है:

बौद्धिक दिव्यांग विद्यार्थियों की बुद्धि औसत से कम होती है। इसलिए, उनमें समझने की क्षमता सीमित/औसत से कम होती है। भिन्न-भिन्न बौद्धिक दिव्यांगता की सीमा, तदनुसार छात्र की शिक्षा को प्रभावित करती है। उनकी स्मृति सीमित होती है, इसलिए व्याख्यान विधियों द्वारा पढ़ाने की तुलना में अनुभवात्मक शिक्षा को बेहतर माना जाता है। उन्हें सरल चीज़ों को समझने के लिए बार-बार अनुदेश देने की आवश्यकता होती है। उन्हें कारण-प्रभाव संबंधों को समझने में कठिनाई होती है। इसका मतलब है कि वे परिणामों को जाने बिना कार्य करते हैं। वे अनुदेशों को समझने और निष्पादित करने में मंद होते हैं और दिए गए अधिक अनुदेशों के मामले में तो और भी धीमे होते हैं। उन्हें अधिगम और प्रतिक्रिया देने में अधिक समय लगता है, इसलिए प्रतिक्रिया देने में उन्हें अधिक समय की आवश्यकता होती है। वे जो भी सीख पाएं, उसे वे तब बेहतर तरीके से सीख पाते हैं जब किसी सिद्धांत को अमूर्तता (एब्सट्रैक्ट) में जाने से पूर्व ठोस उदाहरणों के साथ पढ़ाया जाए। उन्हें किसी सिद्धांत के सामान्यीकरण में कठिनाई होती है। वे एक वातावरण में समझे गए सिद्धांत को दूसरे वातावरण में समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उनकी अधिगम क्षमता, उनकी सीमित संज्ञानात्मक क्षमता के कारण, उनकी आयु आधारित कक्षा स्तर से कम होती है। कक्षा में बौद्धिक अक्षमताओं के साथ छात्रों की कालानुक्रमिक उम्र का अन्य छात्रों के साथ मेल नहीं होता है। उन्हें समस्या-समाधान और संकेतों को समझने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए उन्हें स्पष्ट अनुदेश की आवश्यकता होती है। उनका ध्यान सीमित होता है, इसलिए वे आसानी से विचलित हो जाते हैं।

बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों में कम समझ और फाइन मोटर क्षमता तथा खराब हैंड-आई समन्वय हो सकता है। बौद्धिक क्षमता की डिग्री के आधार पर, बौद्धिक दिव्यांग छात्रों में वक्तृता और भाषा संबंधी विकारों की डिग्री अलग-अलग होती है। उनमें वक्तृता और भाषा का विकास थोड़ी देर से हो सकता है, बजाय इसके कि वक्तृता और भाषा का विकास बिल्कुल भी न हो। उन्हें अपने सोच-विचार को वक्तृता के साथ जोड़कर, स्वयं को धाराप्रवाह रूप से अभिव्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है; बात करते समय वे शब्दों की तलाश करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए खुद को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें अधिक समय की आवश्यकता होती है। कुछ में अतिरिक्त दिव्यांगताएं हो सकती हैं, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी, स्वलीनता और मिर्गी जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां।

प्रत्येक व्याख्याता या शिक्षक को यह ज्ञात नहीं होता है कि बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्र उच्चतर शिक्षा में समावेशन में अध्ययन कर सकते हैं। वे बौद्धिक दिव्यांगता के परिणामों और दिव्यांग छात्रों को दी जाने वाली आवश्यक व्यावहारिक सहायता के बारे में जागरुक नहीं हैं। इसलिए, उच्चतर शिक्षा संस्थान को निम्नलिखित रणनीति अपनानी चाहिए।

- एक अच्छी शुरुआत का अर्थ है, पहले ही आधी विजय प्राप्त हो गई है।
- विद्यार्थी की समझ के स्तर के अनुसार, उसे उपयुक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए। किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश उसकी मानसिक आयु के अनुसार दिया जा सकता है, न कि कालानुक्रमिक आयु के अनुसार।
- हमें बौद्धिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और श्रम बाजार को अधिक सुगम्य बनाने पर काम करना चाहिए।
- बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्र सामान्य तरीके से पश्च-माध्यमिक शिक्षा प्रणाली तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनके लिए रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण योजना और शैक्षिक सहायता की एक मजबूत प्रणाली के साथ वैकल्पिक डिप्लोमा की आवश्यकता होती है।

- अध्ययनों से यह पता चलता है कि कार्यशालाओं में भाग लेने से बेहतर परिणाम मिलते हैं और पुस्तकें एवं सूचना के अन्य स्रोतों को पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ती है। पाठ्यक्रम का चयन प्रत्यक्ष गतिविधियों और व्यावहारिक अभिविन्यास के आधार पर किया जाना चाहिए। यह एक वैकल्पिक समकक्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम हो सकता है। पाठ्यक्रम को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि वह बौद्धिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए सुगम्य हो और उससे उनके लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना संभव हो सके।
- शिक्षण सरल भाषा में होना चाहिए।
- शिक्षक को धीरे-धीरे बोलना चाहिए और घर में तथा प्राकृतिक वातावरण में कक्षा-आधारित शिक्षण देते हुए उनके माता-पिता को शामिल करना चाहिए।
- पाठों को सरल बनाया जाना चाहिए और अमूर्त के बजाय, स्पष्टता की ओर बढ़ना चाहिए।
- खराब मोटर समन्वय (poor fine motor coordination) के कारण लिखने में समस्या होने पर छात्रों को नोट-लिखने वाले (Note- taker) उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- जवाब देने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
- अतिरिक्त दिव्यांगताओं के अनुसार रणनीतियों के संयोजन का अनुसरण करें।
- हम सहपाठी छात्रों की मेन्टरिंग और कोचिंग देने की व्यवस्था कर सकते हैं।
- शिक्षकों को बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के बारे में आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए।
- उच्चतर शिक्षा के शिक्षकों को बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के संबंध में आवश्यक जानकारी, ज्ञान और कौशल प्रदान किया जा सकता है ताकि वे छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अपने शिक्षण और अधिगम की सामग्री को संशोधित कर सकें।
- उच्चतर शिक्षा के शिक्षकों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित और संचालित किया जा सकता है।
- खराब मोटर समन्वय (poor motor coordination) के लिए, छात्रों और संकाय के बीच संचार के लिए छात्रों को उपयुक्त कस्टमाइज सहायक उपकरण और एएसी की आवश्यकता हो सकती है। यदि आवश्यक हो तो संवर्धित और वैकल्पिक संचार प्रणालियों के उपयोग को प्रोत्साहित करें।
- एक समावेशी शिक्षण वातावरण बनाया जा सकता है ताकि बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण सृजित किया जा सके।
- किसी सिद्धांत को पढ़ाने के लिए बहु-संवेदी दृष्टिकोण के साथ पुनरावृत्ति अनुदेश दिया जाना चाहिए।
- परीक्षा के समय बोर्ड पर लिखने के अलावा मौखिक निर्देश दिए जाने चाहिए और छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से दोहराया जाना चाहिए।

स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार

स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार एक न्यूरो अर्थात तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है और किसी व्यक्ति की बातचीत करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या पारंपरिक क्रियापद्धति या व्यवहारों से जुड़ी होती है। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार वाले छात्रों को पढ़ाने के शैक्षणिक पहलुओं में निम्न चुनौतियाँ शामिल हैं

- **ध्यान केंद्रित नहीं कर पाने की समस्या:** स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित छात्र अतिसक्रिय या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। खराब नेत्र संपर्क के कारण, वे कक्षा में अपने शिक्षकों और अन्य सहपाठियों का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें संयुक्त रूप से ध्यान केंद्रित करने में भी समस्या आती है, इसलिए वे समूह गतिविधियों में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं।

- **संवाद समस्या:** उन्हें बोलने, भाषा और संप्रेषण में समस्या होती है। उन्हें अपने शिक्षकों और सहपाठियों के

साथ संवाद करने में कठिनाई होती है। उन्हें अपने शिक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने और दूसरों के विचारों को समझने में समस्या होती है। उनका बातचीत का आउटपुट सीमित होता है या वे कोई बातचीत नहीं करते हैं। हालाँकि वे बोलते हैं, फिर भी वे वही दोहराते हैं जो वे शिक्षकों और अन्य सहपाठियों से सुनते हैं। उनकी वाणी में असामान्य स्वनगुण होते हैं। यहां तक कि वे खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी शारीरिक भाषा, हावभाव और चेहरे के भावों को भी सीमित रखते हैं। कभी-कभी किसी पसंदीदा विषय पर एकतरफा बातचीत देखने को मिलती है, जिसमें दूसरों की रुचि नहीं होती।

- **समाजीकरण की समस्या:** अधिकांश ऑटिस्टिक छात्रों को समाजीकरण की समस्या होती है जिसके परिणामस्वरूप खेल आयोजनों में भाग लेने जैसी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लग जाता है। हो सकता है कि वे कक्षाओं के अंदर और बाहर अन्य छात्रों के साथ घुलना-मिलना पसंद न करें। वे उम्र में अपने से बड़े या छोटे लोगों से आसानी से रिश्ते नहीं बनाते हैं। सामाजिक बातचीत और दूसरों के साथ अनुभव साझा करने में भी इनकी एक सीमा है।

- **व्यवहार संबंधी समस्या:** वस्तुओं और गतिविधियों में उनकी कतिपय और प्रतिबंधित रुचि होती है। वे पुनरावृत्तीय गतिविधियां प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि शारीरिक गतिविधियाँ, वस्तुओं को घुमाना या चक्रण, वस्तुओं के साथ केवल एक खास तरीके से खेलना, खास विषयों पर बात करना और एक ही प्रश्न बार-बार पूछना। उन्हें अपनी पसंद और नापसंद के साथटेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर और इंटरनेट देखना पसंद है। वे नियमों और दिनचर्या का पालन करने में अच्छे होते हैं।

- **मनोभाव और रुचि:** उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को समझने में भी कठिनाई होती है। वे या तो विशिष्ट ध्वनियों, गंधों, स्वादों या बनावटों में रुचि रखते हैं या उनसे बचते हैं। इसलिए, उन्हें कुछ प्रकाश, ध्वनियाँ, बनावट या स्पर्श अत्यधिक कष्टकारी लग सकते हैं, या वे कुछ दृश्य, स्पर्श, मौखिक या श्रव्य प्रेरणा की तलाश कर सकते हैं। वे बिना किसी स्पष्ट कारण के या दिनचर्या में थोड़े से बदलाव से आसानी से परेशान हो जाते हैं। उनके पास इतिहास-पूर्व, ऑटोमोबाइल, अंतरिक्ष, क्रिकेट इत्यादि जैसे किसी विशिष्ट विषय पर सूचना और गहन रुचियां हो सकती हैं जो असामान्य लग सकती हैं।

- **भाषायी कठिनाई:** भले ही उन्हें भाषा की समझ हो, लेकिन भावों को समझने में उन्हें कठिनाई होती है और उनकी कल्पना क्षमता सीमित होती है। उनके वक्तव्य में भाषा के शब्दार्थ, वाक्य-विन्यास और व्यावहारिक पहलू प्रभावित होते हैं।

- **शैक्षणिक:** खराब हैंड-आई और मोटर समन्वय के कारण, उन्हें हाथ से लिखने और ब्लैकबोर्ड से देखकर लिखने में कठिनाई होती है। वे संगीत, विज्ञान या गणित जैसे कुछ कौशलों में अच्छे हो सकते हैं, और फिर भी वे उन चीज़ों से जूझते हैं जो स्पष्ट, सरल या आसान लगती हैं।

स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार वाले छात्रों के लिए पढ़ाने की योजना बनाते समय, निम्नलिखित शैक्षणिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

- पाठों को सरल बनाया जाना चाहिए और गहन अध्ययन के बजाय सिद्धांतों को समझाते हुए स्पष्टता की ओर बढ़ना चाहिए, खासकर प्रारंभ में, और किल्ष्ट शब्द व भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- उनकी पसंद के अनुसार संबद्ध शिक्षकों और समय को चुनने में लचीलेपन की अनुमति दी जानी चाहिए।
- पाठ्यक्रम को स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित छात्र की जरूरतों और रुचियों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। छात्र-केंद्रित डिग्री की डिजाइनिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- सामान्य और कौशल या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अलग-अलग विषय संयोजन चुनने का विकल्प दिया जा सकता है।
- विषय चुनना किसी भी माध्यम से पढ़ाई करने के लिए खुला होना चाहिए चाहे वह नियमित, दूरस्थ, ऑनलाइन और वर्चुअल मोड के जरिए अध्ययन हो।
- छात्र की मांग के अनुसार अधिगम और परीक्षा का प्रावधान किया जा सकता है।
- संवर्धित और वैकल्पिक संचार के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।
- किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थान में पढ़ाई या बदलाव के लिए लचीलापन होना चाहिए।
- क्रेडिट को डिग्री और डिप्लोमा में बदलने के लिए लचीलापन होना चाहिए।
- आजीवन अधिगम की प्रक्रिया का प्रावधान किया जा सकता है। बहु-प्रवेशों एवं बहिर्वेशनों के विकल्प के साथ शिक्षा के लिए एक निश्चित समय की धारणा को समाप्त किया जा सकता है।
- उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और सहायता प्रदान की जा सकती है।
- ओपन बुक परीक्षाएँ, पारंपरिक थ्योरी परीक्षाओं के लिए भी समूह परीक्षाएँ, मौखिक/ बोलने वाली परीक्षाएँ और मांग आधारित परीक्षाओं पर विचार किया जा सकता है।

3.4 बहुविध दिव्यांगताएं

बहु-दिव्यांगता वाले छात्रों की चुनौतियाँ, विशेषताओं और व्यवहार में निम्नलिखित शामिल हैं:

उनमें दो या दो से अधिक दिव्यांगताओं का संयोजन होता है। इसलिए, छात्र की अधिगम शैली दिव्यांगताओं के संयोजन के आधार पर होती है। उन्हें अपने व्यक्तिगत और दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए सहायक उपकरणों (निम्न तकनीक/मध्यम तकनीक/उच्च तकनीक) की आवश्यकता होती है। कक्षा में व्हीलचेयर और अनुकूलित सीटों का उपयोग कर सकते हैं। कम दृष्टि वालों को सहायक उपकरण दिए जा सकते हैं या यदि वे दृष्टिहीन हैं, तो स्पर्श संबंधी सहायता दी जा सकती है। हो सकता है कि वह श्रवण यंत्र का उपयोग करते हों और भाषण/संचार के लिए सहायक उपकरणों का उपयोग भी कर रहे हों। वे केवल अपने सिर को हिलाकर ही संवाद करना पसंद करते हैं और केवल आंखों की गति के माध्यम से ही अपनी जरूरतों को व्यक्त करते हैं। आसानी से सीखे गए कार्य को भूल सकते हैं, इसलिए उन्हें कुछ समय के बाद बार-बार अधिगम के अवसरों की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी व्यक्ति के सहयोग से वे अपनी नियमित गतिविधियाँ निष्पादित करते हैं। ऐसा छात्र पढ़ाई में अच्छा हो सकता है लेकिन उसे संबंधित स्थितियाँ और शारीरिक विकृतियां हो सकती हैं जो उसकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकती हैं। श्रवण-दृष्टि बाधिता से पीड़ित छात्र पूरी तरह से स्पर्शीय शिक्षा पर निर्भर हो सकते हैं या अपनी शेष दृष्टि/श्रवण का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए उपयुक्त सहायक उपकरणों या प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं।

शिक्षण-अधिगम जैसे शैक्षणिक पहलुओं की योजना बनाते समय, निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- पर्याप्त उदाहरणों के साथ पाठों का सरलीकरण किया जाना चाहिए।
- जैसे-जैसे छात्र सीखता जाता है चरण दर चरण अनुदेश के साथ उसे दिए जा रही सपोर्ट को धीरे-धीरे समाप्त करना चाहिए।
- सीखने और प्रतिक्रिया देने के लिए श्रव्य-दृश्य और स्पर्श संबंधी अनुभवों का उपयोग किया जा सकता है।
- सीखे गए सिद्धांतों की स्मृति की बार-बार विवेचना पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- वृक्तता /लेखन के अलावा, वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करके कक्षा में होने वाली चर्चाओं का जवाब देने/भाग लेने का प्रावधान होना चाहिए।
- यदि आवश्यक हो तो बड़े स्क्रीन डिस्प्ले, स्क्रीन कंट्रास्ट डिस्प्ले, स्क्रीन रीडर और टच स्क्रीन सुविधाओं

की व्यवस्था की जा सकती है।

- अधिगम की सामग्री तक पहुँचने के लिए मॉनिटर में प्रदर्शित करने हेतु सेंसर एक्सेस प्रोग्राम की व्यवस्था की जा सकती है।
- सामग्री तक पहुंचने के लिए मॉडल, एनीमेशन और वीडियो में बहु सेंसरी (Multisensory) इनपुट की विशेषताएं हैं, इसलिए उनका उपयोग किया जा सकता है जिससे उनके लिए सीखना आसान हो जाएगा।

3.5 मानसिक रोग/विकार:

हाल के दिनों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में छात्रों के बीच मानसिक बीमारी बढ़ रही है और यह व्यावसायिकोंऔर सरकार के ध्यान में आया है, इसलिए सरकार उन्हें उचित सहायता प्रदान करने का लक्ष्य बना रही है। इन छात्रों को आरामदायक जीवन जीने के लिए मनोवैज्ञानिकों और/या मनोचिकित्सकों से समय पर सहायता की आवश्यकता होती है। एक सतर्क और समझदार संकाय इन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगा। छात्रों के व्यवहार में बदलाव और चितवृत्ति पर नजर रखने और संकाय की उन्हें उचित उपचार के लिए संदर्भित करने की मंशा से इन छात्रों को काफी मदद मिलेगी। व्याख्याता शिक्षा के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी और कार्यक्रमों में से किसी एक का चयन करके उनकी सहायता कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो यह किसी व्यावसायिक व्यक्ति के परामर्श से किया जा सकता है, ताकि छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विकल्प उपयुक्त हो।

शारीरिक दिव्यांगताओं में लोकोमोटर दिव्यांगता, कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति, सेरेब्रल पॉल्सी, बौनापन और एसिड अटैक शामिल हैं।

इन अक्षमताओं के शैक्षणिक पहलुओं पर विचार करते समय, अन्य शैक्षणिक पहलुओं की तुलना में सुगम्यता यानी ऐक्ससेबिलिटी पर विचार करना अधिक महत्वपूर्ण है।

- कक्षा भूतल पर संचालित होनी चाहिए या ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां व्हीलचेयर या उचित रैंप रखे जा सकें और उन्हें बड़े लिफ्ट के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है।
- दिमागी लकवा सेरेब्रल पॉल्ज़ी वाले व्यक्ति को एक लिखने वाला व्यक्ति (स्क्राइब) उपलब्ध कराया जा सकता है।
- कोई प्रभावित अंग के संदर्भ में लिखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता को मामले-दर-मामले के आधार पर तय किया जा सकता है।
- कोई प्रभावित अंग के संदर्भ में मामले-दर-मामले के आधार पर सपोर्ट /अनुकूलित/उन्नत/इलेक्ट्रॉनिक लेखन/बैठने की सामग्री के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।
- आंतरिक मूल्यांकन के साथ-साथ सत्रांत परीक्षा के दौरान अतिरिक्त समय प्रदान करना चाहिए। इसकी अनुमति प्रति घंटे 20 मिनट के लिए दी जा सकती है।
- परीक्षा केंद्रों का आवंटन उनके घरों के करीब हो, जिससे भवन तक बाधा रहित पहुंचा जा सके।

3.6 अधिगम-विशिष्ट अक्षमता

शिक्षण-विशिष्ट दिव्यांगता (एसएलडी) वाले छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए आवश्यक सहायता नहीं मिलती है। उन्हें अपनी पढ़ाई में संघर्ष करने और परिणामस्वरूप तनाव और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का सामना करने की अधिक संभावना होती है। आंकड़े बताते हैं कि एसएलडी वाले छात्रों में अधिगम की कठिनाइयों के बिना पढ़ाई छोड़ने की दर बहुत अधिक है। यह संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह एसएलडी छात्रों को सहायता प्रदान करे और उन्हें उनके लिए उपलब्ध सेवाओं के बारे में अच्छी तरह से सूचित करे। उच्चतर शिक्षा में अधिगम-विशिष्ट दिव्यांगताओं के लिए मोटे तौर पर शिक्षाशास्त्र को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है;

पाठ्यचर्या अनुकूलन

- पाठ्यक्रम कार्य के लिए, एसएलडी वाले छात्रों को अपने शिक्षकों से अतिरिक्त समय और अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- शिक्षण सामग्री को सरलीकृत प्रारूप में पुनः लिखना।
- सारांश, ग्राफिक आयोजक, या शिक्षण सामग्री की रूपरेखा प्रदान करना।
- प्रमुख अवधारणाओं और नई शब्दावली को उजागर करने के लिए कलर-कोडिंग पाठ्यपुस्तकें।
- ऑडियो टेपिंग पाठ्यपुस्तक सामग्री।
- PWLD को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियाँ आदर्श होंगी।
- सीखे जाने वाले मुख्य बिंदुओं और प्रमुख अवधारणाओं पर जोर देने के लिए शिक्षक प्रस्तुति संकेतों (जैसे, संकेत, दृश्य या मौखिक) का उपयोग करें।
- व्यावहारिक अनुभव प्रदान करें

पाठ्यक्रम भार कम करना: सभी समय-सीमाएँ, कार्य और अपेक्षाओं की सूचना छात्रों को पहले से ही दे दें। छात्रों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए असाइनमेंट के बीच पर्याप्त समय सुनिश्चित करें। छात्रों को असाइनमेंट पूरा करने के लिए आवश्यक समय पर विचार करें, और यदि आवश्यक हो तो एसएलडी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम के कार्य को कम करें।

सूचना की बहु विधियां: सूचना संप्रेषित करने के लिए अनेक तरीकों का उपयोग करना अधिक से अधिक छात्रों तक पहुँचने और उन्हें व्यस्त रखने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। सुनिश्चित करें कि सभी प्रारूप पहुंच योग्य (उदाहरण के लिए, कैप्शन, प्रतिलेख या वैकल्पिक पाठ का उपयोग) हैं। मुख्य सामग्री को विभिन्न माध्यमों से कवर करना प्रासंगिक है, उदाहरण के लिए, व्याख्यान, पाठ्यपुस्तकें और/या दृश्य प्रस्तुतियाँ।

व्याख्यानों की ऑडियो रिकॉर्डिंग: छात्रों को व्याख्यानों को ऑडियो-रिकॉर्ड करने या व्याख्यानों के ऑडियो पॉडकास्ट बनाने और उन्हें उपलब्ध कराने की अनुमति देने पर विचार करें। हालाँकि, ये विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों और उन छात्रों के लिए जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है, ये सभी के लिए अध्ययन में सहायक हो सकते हैं।

शिक्षण प्रणाली का प्रबंधन: छात्रों को सामग्री और एक-दूसरे के साथ व्यावहारिक गतिविधियों, चर्चाओं, या प्रौद्योगिकी-/ इंटरनेट-आधारित इंटरैक्शन क्लिकर्स सहित या एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके बातचीत करने के विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित और सपोर्ट करें।

अध्याय 4

अभिगम्यता और शिक्षाशास्त्र

4.1 एचईआई में दिव्यांग व्यक्तियों की अभिगम्यता:

उच्चतर शिक्षा में अधिगम-दिव्यांग लोगों के लिए अभिगम्यता का मतलब उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन करने और शिक्षण शैली विकसित करने की प्रक्रिया से है, जिनके पास अलग-अलग अधिगम शैलियों के कारण विभिन्न प्रकार की अधिगम अक्षमताएं हैं। अधिगम की अक्षमता वाले लोगों को पढ़ाने का कोई एक तरीका नहीं है क्योंकि वे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं; इसलिए विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करने से अधिकतम संख्या में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। शिक्षा में समावेशी प्रथाएं किसी भी शिक्षार्थी के साथ भेदभाव किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करती हैं। यह विविध आवश्यकताओं को उत्तरदायी और सहायक तरीके से पूरा करती हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEI) को एक सामान्य शिक्षण मंच बनाने की आवश्यकता है जो अधिगम के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि और विविध क्षमताओं वाले छात्रों सहित सभी छात्रों हेतु एक प्रकार से लचीला और सुलभ हो। यह ऐसा समावेशी वातावरण हो जिससे न केवल शिक्षार्थियों को लाभ होता है, बल्कि समग्र रूप से सामाजिक समावेशन और सुलभ वातावरण की एक मजबूत नींव भी बनती है। इस प्रकार, इसका परिणाम बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया और समानता, समता, गुणवत्ता और परिसर जीवन के शैक्षणिक और सामाजिक दोनों पहलुओं में पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक अन्य सभी घटकों में आवश्यक बदलाव लाकर बाधाओं को दूर करना होना चाहिए।

यह कहने की जरूरत नहीं है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में अभिगम्यता और समावेशन को सामान्य रूप से दिव्यांग छात्रों और विशेष रूप से अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं वाले छात्रों के लिए प्रचारित करने की आवश्यकता होगी। उच्चतर शिक्षा में दिव्यांग और अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं वाले छात्रों के लिए व्यापक रूप से अभिगम्यता निम्न प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है:

भौतिक रूप से अभिगम्यता में व्यापक रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

एचईआई परिसरों के भीतर सड़क का बुनियादी ढांचा: एचईआई परिसरों को सुलभ पैदल यात्री मार्गों के साथ सड़क के बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए जो दो-तरफा आवाजाही के लिए कम से कम 1800 मिमी चौड़े हों। रास्ते बिना किसी रुकावट के निरंतर चलने वाले होने चाहिए और उनकी सतह ठोस, समतल और फिसलन रहित होनी चाहिए और कम रोशनी की स्थिति में उपयोग के लिए अच्छी रोशनी वाली होनी चाहिए। लेवल क्रॉसिंग, उपयुक्त जंक्शनों पर यातायात को रोकने के उपाय, सुलभ बोलार्ड, स्पर्श पथ, सड़क के फर्नीचर में बैठने की उचित ऊंचाई, और गतिशीलता अवसंरचना के घटकों की एक पूरी श्रृंखला की आवश्यकता है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश और मानक, 2021 सहित विभिन्न प्रासंगिक कोड का पालन करें।

परिसर में सड़क के किनारे हर 30 मीटर पर बैठने की सुलभ सुविधाएं होनी चाहिए जो पैदल चलने वालों की पहुंच की सुविधा को अवरुद्ध न करें। चलने की क्षमता को बढ़ाना और वॉकवे को व्हीलचेयर-अनुकूल बनाना सभी एचईआई के लिए प्राथमिकता के रूप में सुनिश्चित करने की अनुशंशा की जाती है। इससे न केवल उच्च पहुंच को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यावरण के स्थिरता से संबंधित उपायों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी के लिए समावेशी गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए सड़क और गतिशीलता के बुनियादी ढांचे को अच्छी तरह से डिजाइन किया जाए, नियमित रूप से निगरानी और रखरखाव किया जाए और पहुंच के लिए ऑडिट किया जाए। जहां संभव हो, एचईआई परिसर में साइकिल चलाने जैसे गतिशीलता विकल्प और बाइक-शेयरिंग प्रणाली, जैसे कि संबंधित बुनियादी ढांचे को भी विकसित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, पार्किंग स्थान, सभी महत्वपूर्ण इमारतों के

पास (जहां दिव्यांग छात्र और कर्मचारी वाहन की प्रतीक्षा कर रहे हैं) कारों और अनुकूलित वाहनों के लिए सुलभ पार्किंग स्थान निर्धारित किए जाने चाहिए।

छोड़ने और पिकअप के लिए स्थान की सुलभता : यह स्थान परिसर में उपलब्ध कराया जाना चाहिए जहां उपयोगकर्ता सुविधा-स्थलों, यूनिटों या विभागों के पास सार्वजनिक/एचईआई परिवहन विकल्पों में सुरक्षित रूप से चढ़ और उतर सकें। उपरोक्त के अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूलित स्कूटर या अन्य परिवहनीय उपकरणों के लिए सुलभ पार्किंग प्रावधानों और आरक्षित कार और दोपहिया पार्किंग के निर्माण को सभी एचईआई में अपनाया जाना चाहिए।

सुगम्य सड़क बुनियादी ढांचे के विभिन्न घटकों का विवरण, जैसे कि सड़क के दोनों तरफ बने फूटपाथ का किनारा (kerb), रैंप, सड़क का फर्नीचर, स्पर्श मार्ग आदि सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

जीपीएस मैपिंग या ब्लूटूथ परिसर में ओरिएंटेशन/नेविगेशन को बढ़ाने के लिए बीकन-आधारित प्रौद्योगिकियों को तैनात किया जा सकता है, जबकि पर्यावरण को समग्र रूप से समझने के लिए पर्यावरण के आस-पास स्पर्शीय और दृश्य मानचित्रों का निर्माण कराया जाना चाहिए जिससे उन्हें चलने और पर्यावरण को समझने में सहायता मिलती है।

साइनेज और रास्ता ढूँढना: उच्चतर शिक्षा संस्थानों को पूरे परिसर में उचित रास्ता खोजने वाली प्रणालियों के माध्यम से सुलभ सूचना के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। परिसर के भीतर बेहतर अभिविन्यास के लिए, सुलभ सूचनात्मक और दिशात्मक साइनेज प्रदान किया जाना चाहिए। परिसर और इमारतों के भीतर बेहतर तरीके से रास्ता खोजने के लिए दृश्य और स्पर्श मानचित्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साइनेज सिस्टम (जो ध्वनि उत्सर्जित करते हैं और एक अच्छा कलर कंट्रास्ट प्रदान करते हैं) उपयोगकर्ताओं की विविधता हेतु पहुंच बढ़ाने के लिए तेजी से उपयोग किए जा रहे हैं। पाठ (text) का फ़ॉन्ट आकार और रोशनी का स्तर अनुमोदित अभिगम्यता मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

संसाधन, प्रौद्योगिकी और अन्य सहायता सेवाओं की पहुंच

अधिगम में सहायक सामग्रियां (Aids): शिक्षण सहायक सामग्री की मदद से एसएलडी वाले छात्रों की अधिगम प्रक्रिया में काफी सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, डिस्लेक्सिया से पीड़ित छात्र लैपटॉप के साथ बेहतर काम कर सकते हैं क्योंकि ये उपकरण छात्रों को योजना बनाने के लिए टेक्स्ट-स्पीच सॉफ्टवेयर, टाइपिंग प्रोग्राम और माइंड-मैपिंग सॉफ्टवेयर जैसे उपकरण प्रदान करते हैं। इस सॉफ़्टवेयर का अधिकांश भाग अन्य एसएलडी के लिए भी अत्यंत मूल्यवान हो सकता है, जैसे एडीएचडी वाले लोगों के लिए माइंड मैपिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग। एसएलडी वाले छात्र अन्य छात्रों की तुलना में विभिन्न रंगों और फ़ॉन्ट के साथ बेहतर काम कर सकते हैं, इसलिए जहां संभव हो उन लोगों के लिए ऐसी शिक्षण सामग्री को अपनाने में हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए जिन्हें उन्हें आवश्यकता है।

दस्तावेज़ को सुलभ बनाएं: छात्र अपनी अधिगम ज़रूरतों के लिए सूचना को उपयुक्त प्रारूप में ढालने के लिए सहायक तकनीक का उपयोग करते हैं।

- **स्क्रीन रीडर्स:** ये कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़ोर से पढ़ी जाने वाली सूचनाएं हैं, जैसे कि लिखित पाठ, या वैकल्पिक पाठ या ऑल्ट टेक्स्ट (Alt Text) के माध्यम से प्रदान की गई इमेज/छायाचित्र का विवरण।

- **स्क्रीन को बढ़ा करने वाला सॉफ़्टवेयर:** कन्टेंट को देखने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए यह

उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर स्क्रीन को बड़ा करने या कंट्रास्ट बदलने की सुविधा प्रदान करता है। आपका पाठ्य-विवरण आपकी कक्षा के छात्रों के लिए प्रथम संपर्क बिंदुओं में से एक होगा।

- **दस्तावेज़ को सुलभ प्रारूप में उपलब्ध कराना:** जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है और स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीक द्वारा उपयोग किया जा सकता है, प्रारूप यह प्रदर्शित करे कि आपका पाठ्यक्रम समावेशी है।

- **पाठ्यक्रम को सभी छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराना:** पाठ्यक्रम सभी छात्रों को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए और यदि पाठ्यक्रम के दौरान कोई संशोधन किया जाता है तो उसे अद्यतित करें; इसे एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, जैसे ब्लैकबोर्ड, वेब सीटी, डिज़ायर2लर्न, मूडल, या सकाई (Sakai); ईमेल द्वारा या कोर्स वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।
- असाइनमेंट जमा करने और वापस करने की सुविधा के लिए **ई-मेल** या पाठ्यक्रम वेबसाइट का **उपयोग करें**।

अधिगम-विशिष्ट दिव्यांग छात्रों के लिए मोबाइल ऐप्स:

- **स्टे फोकस्ड:** स्टे फोकस्ड एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जो छात्रों को समय बर्बाद करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। यह सॉफ़्टवेयर कार्यों को छोटे, प्रबंधकीय भागों में विभाजित करने के लिए टास्क टाइम ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग करता है। इससे छात्रों को सोशल मीडिया और अन्य समय बर्बाद करने वाली साइटों से बचने में मदद मिल सकती है, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी।

- **वेब कैप्शनर:** वेब कैप्शनर रिअल-टाइम में कैप्शनिंग प्रदान करता है, जिससे भाषण को संसाधित करने में संघर्ष करने वाले छात्रों के लिए व्याख्यान और कार्यक्रम सुलभ हो जाते हैं। कैप्शन सेकंड के भीतर दिखाई देते हैं, और सॉफ्टवेयर उन्नयन योग्य है, जिससे छात्र अपनी भाषा, फ़ॉन्ट, रंग, पृष्ठभूमि और पाठ स्थिति बदल सकते हैं।

- **जिंजर:** आर्टिफिसिअल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित, जिंजर एक निःशुल्क लेखन सहायक है जो रीयल टाइम में संदर्भ-आधारित त्रुटियां दर्शाता है। जिंजर गूगल क्रोम एक्सटेंशन और डेस्कटॉप ऐप, दोनों के रूप में उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने और लेखन की गति बढ़ाने में मदद कर सकता है।

- **डिस्लेक्सिया टूलबॉक्स:** डिस्लेक्सिया टूलबॉक्स एक Google Chrome एक्सटेंशन है जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित छात्रों के लिए पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। सॉफ़्टवेयर वेबसाइट के फ़ॉन्ट को ओपन डिस्लेक्सिक में बदल देता है, यह फ़ॉन्ट डिस्लेक्सिया से पीड़ित छात्रों के लिए बनाया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को पाठ के विशिष्ट अंशों पर ध्यान केंद्रित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए पृष्ठों के भागों को भी छुपाता है।

1) **संसाधनों की उपलब्धता**: संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करने के बाद, सभी आवश्यक उपकरण/सेवाएं सभी इकाइयों (जैसे पुस्तकालय, कैंटीन, फोटोकॉपी सेवा क्षेत्र, प्रयोगशालाएं, संसाधन केंद्र, पार्किंग, आदि) पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए या बार-बार सेवा/संसाधनों की मांग नहीं करनी चाहिए। लैग टाइम अथवा पश्चता समय न्यूनतम या शून्य होना चाहिए।

2) **ई-सामग्री का एकीकरण:** एचईआई दिव्यांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफार्मों, जैसे कि स्वयम्/दीक्षा आदि को शिक्षण-अध्ययन के साथ एकीकृत करेगा। जहां भी ई-सामग्री उपलब्ध कराई गई है या उपलब्ध कराई जा रही है, उन्हें अधिगम अक्षमता वाले सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ विभिन्न प्रारूपों में प्रदान किया जाएगा।

3) **पुस्तकालय सुविधाएं:** अधिगम अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर भी पुस्तकालयों में उचित ध्यान दिया जाना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। एचईआई में अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को प्रवेश देने के बाद पुस्तकालयों को ऐसे छात्रों की जरूरतों का आकलन करना चाहिए और उनकी अधिगम एवं समझने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जैसे कि 'ईजी टू रीड' पाठ, बड़े प्रिंट में पाठ, ऑडियो सामग्री, बोले गए शब्द संग्रह, डेज़ी प्रारूप में ऑडियो और वीडियो आदि।

4.2 परीक्षा और मूल्यांकन के लिए अभिगम्यता

एक अभिगम्य परीक्षा प्रणाली छात्रों के बीच समानता, समावेश, भागीदारी और जुड़ाव में योगदान करती है जिससे छात्रों के अधिगम परिणाम, संतुष्टि और कल्याण से संबंधित परिणाम सर्वोत्तम प्राप्त होते हैं। अभिगम्य निर्धारण प्रदान करना, छात्रों के बीच विविध प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और क्षमताओं का अनुमान लगाने और अंतर्निहित लचीलापन और प्रत्याशित समायोजन प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। नियमित कक्षा में उपयोग किया जाने वाला कोई भी संशोधन जो दिव्यांग व्यक्ति की मदद करता है, उसे परीक्षण के दौरान भी प्रदान किया जाना चाहिए।

एसएलडी के लिए अभिगम्य मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली:

अधिगम-विशेष दिव्यांगताओं वाले छात्रों को परीक्षा के दौरान विस्तार से उत्तर लिखने की छूट दी गई है।

- छात्रों के मूल्यांकन के लिए कई विधियों पर विचार करें, जैसे कि परीक्षा, प्रस्तुतियाँ, शोधपत्र इत्यादि। अधिगम के उद्देश्यों को पूरा करने और मापने के लिए एक से अधिक उपयुक्त विधियां हो सकती हैं।
- डिस्ग्राफिया से पीड़ित छात्रों को परीक्षा के दौरान राइटर की अनुमति है। परीक्षा के दौरान रीडर को भी अनुमति दें।
- असाइनमेंट और परीक्षण के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।
- परीक्षा के दौरान लिखित कार्यों के विकल्प प्रदान करना।
- परीक्षण और/या परीक्षा लिखने के लिए एक अलग, विकर्षण-मुक्त (distraction-free) कमरा उपलब्ध कराएं।
- अनुकूलनीय प्रौद्योगिकी (adaptive technology) (उदाहरण के लिए, स्क्रीन रीडर या स्क्रीन संवर्धन, जैसे स्क्रीन एन्हांसमेंट सॉफ़्टवेयर) के उपयोग की अनुमति दें।
- परीक्षाएँ और निर्धारण आमतौर पर बिना एसएलडी वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि अधिगम में कठिनाई होने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन समान स्तर पर हो, विश्वविद्यालयों को अपने मूल्यांकन तरीकों में लचीला होना चाहिए।
- एसएलडी वाले कुछ छात्रों को परीक्षा पूरी करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी और स्क्राइब या लैपटॉप के रूप में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
- परीक्षा के दौरान गणितीय गणना के लिए कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति दी गई है।
- प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दिए जाएं
- प्रारूप संशोधित करें (बहुविकल्पीय, निबंध सही/गलत)
- उत्तरों को डिक्टेट करने की अनुमति दें।

अध्याय 5

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम शिक्षाशास्त्र (सीबीसीएस) और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी)

विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली अथवा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) एक शैक्षणिक मॉडल है जो छात्रों को उनकी पसंद के पाठ्यक्रमों और विषयों – मुख्य, ऐच्छिक, मुक्त या वैश्विक ऐच्छिक और कौशल-आधारित पाठ्यक्रम का चयन करने की सुविधा प्रदान करता है। पारंपरिक अंकनिर्धारण-आधारित प्रणाली के विपरीत, सीबीसीएस ग्रेडिंग पैटर्न प्रत्येक सेमेस्टर में अर्जित क्रेडिट पर आधारित होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) की परिकल्पना छात्रों को शैक्षणिक गतिशीलता (academic mobility) को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है ताकि वे देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में डिग्री/डिप्लोमा/पीजी-डिप्लोमा आदि में उचित "क्रेडिट ट्रांसफर" प्रणाली के साथ एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र हों।

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पंजीकृत संस्थानों द्वारा दिए गए क्रेडिट को छात्रों के खातों में जमा करेगा। अकादमिक बैंक क्रेडिट केवल संस्थानों से साझा किया जा सकता है, सीधे छात्र से नहीं। किसी अधिकृत संस्थान द्वारा प्रस्तुत क्रेडिट को एबीसी द्वारा अंक-संग्रह (स्टोरेज) और सत्यापन के लिए स्वीकार किया जाएगा।

एबीसी के लिए अभिगम्यता: उच्चतर शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रावधान किए जा सकते हैं।

1. **क्रेडिट का समायोजन:** किसी विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता के लिए, क्रेडिट आवंटित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है:
    - स्व-अध्ययन
    - ई-लर्निंग
    - प्रयोगशाला कार्य
    - ऑनलाइन दिए गए समायोजन
    - गृह आधारित प्रशिक्षण
    - व्यावहारिक अनुभव
    - प्रोजेक्ट अधिगम
    - अल्पावधि पाठ्यक्रम
    - इंटर्नशिप में कार्य करना
    - वितरण पाठ्यक्रम में लचीलापन

2. **वैकल्पिक पाठ्यक्रम:** दिव्यांग व्यक्तियों को एक समय पर एक या उससे अधिक वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का उपयोग करके उन्हें जारी रखने और क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति दी जा सकती है।

3. **संशोधन:** दिव्यांग छात्रों को प्रतिनिधित्व, कार्रवाई और अभिव्यक्ति के कई तरीकों की आवश्यकता होती है। लेन-देन, शिक्षण-अधिगम सामग्री और मूल्यांकन में संशोधन किया जा सकता है।

4. **मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त उपाय:** क्रेडिट-आधारित प्रणाली में निम्नलिखित का उपयोग करके क्रेडिट अर्जित

करने के लिए विकलांग छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन के तरीके पर विचार किया जा सकता है।

- अतिरिक्त परीक्षण
- अतिरिक्त असाइनमेंट
- अतिरिक्त प्रोजेक्ट
- बहुस्तरीय मूल्यांकन

*****